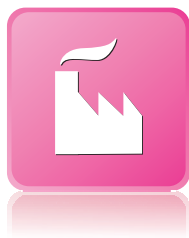


राजस्थान उद्योग एवं निवेश संवर्धन नीति - 2010

Rajasthan Industrial and Investment Promotion Policy - 2010



सत्यमेव जयते

उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार

Department of Industries, Government of Rajasthan

Rajasthan Industrial and Investment Promotion Policy - 2010



सत्यमेव जयते

Department of Industries
Government of Rajasthan

Contents

Introduction	1
Chapter 1 Vision, Objectives, Strategy and Implementation of the Policy	6
1.1 Vision	
1.2 Objectives	
1.3 Strategy	
1.4 Implementation	
Chapter 2 Improving the Business Climate	8
2.2 Strengthening of the Single Window System	
2.2.1 Special Packages by Council of Ministers (Cabinet)	
2.2.2 Rajasthan Enterprises Single Point Enabling and Clearance Act (RESPECT)	
2.2.3 Single Point Electronic Monitoring and Clearance System	
2.3 Simplification and Rationalization of Regulatory Mechanisms	
2.4 Setting up of Udyogik Salahakar Samiti (Industrial Advisory Council)	
Chapter 3 Developing High Quality Infrastructures	10
3.2 Encouraging Public Private Partnership for Infrastructure Development	
3.2.1 Infrastructure Development Act	
3.2.2 Infrastructure Development Board	
3.2.3 Viability Gap Funding	
3.3 Fund for Critical Infrastructure Needs	
3.4 Augmenting Industrial Infrastructure	
3.4.1 New Industrial Areas	
3.4.2 Upgrading of Existing Areas by RIICO	
3.4.3 RIICO as a Provider of Common Infrastructure Services	

- 3.4.4 Promotion of SEZs
- 3.5 Development of Gas Grid
- 3.6 Water Availability for Investment Projects
- 3.7 Development of Logistics Parks
- 3.8 Making Available Abundant Power Supply
- 3.9 Leveraging Delhi-Mumbai Industrial Corridor
- 3.10 Development of Special Investment Regions
- 3.11 Developing Industrial Townships and Urban Infrastructure
- 3.12 Ensuring Pollution Control and Environmental Protection

Chapter 4 Enhancing Skill Levels and Employability 20

- 4.1 Upgrade Industrial Training Centres into Centres of Excellence
- 4.2 "Train to Gain Scheme" for On-the-job Training
- 4.3 Skill Mapping and Survey
- 4.4 Skill Development for Service Sectors
- 4.5 Utilising Existing Training Infrastructure
- 4.6 Entrepreneurship Development
- 4.7 Benefit from National Skill Development Initiative
- 4.8 Implementation of New Schemes
 - IScheme for Industrial Area/Cluster Based Training Centres
 - IISchemes for Industry Linked New Courses in Existing Institute
 - IIISchemes for Establishment of New Training Facilities

Chapter 5 Ensuring Easy Availability of Land 24

- 5.2 Easing Procedures for Land Use Change/Conversion/Approvals of Layout/Building Plans
- 5.3 Simplifying Land Acquisition Process
- 5.4 Creating Land Bank
- 5.5 Formulating New Policy Guidelines for Investments

Chapter 6 Focus on MSMEs Growth **26**

6.2 Cluster Development

6.3 Leveraging Government of India Schemes & Fund

Chapter 7 Promotion of Thrust Areas **28**

7.3.1 Knowledge Sector

7.3.2 Tourism

7.3.3 Mining & Mineral Processing

7.3.4 Gems and Jewellery

7.3.5 Agri Business

7.3.6 Textiles & Apparel

7.3.7 Attracting Mega Investments

7.3.8 Foreign Investment

7.3.9 Non-Resident Indians

7.3.10 Handicrafts/Handloom/Khadi/Village/Cottage Industry

7.3.11 Exports

7.3.12 Green Industries

7.3.13 Backward Areas

ANNEXURE **35**

List of Schemes to be formulated under the policy

INTRODUCTION

Rajasthan is the largest State in India. Situated between the northern and western growth hubs of India, with 40% of the Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) falling within the State, its location is truly strategic. Rajasthan, besides being, a prime tourist destination, a remarkably peaceful and politically stable state, offers a set of unique advantages and opportunities for profitable investment in many sectors.

The business environment of Rajasthan is nurtured by an enterprise-friendly government, rich mineral and agro resources, good infrastructure which is being continuously upgraded, a tradition of entrepreneurship and availability of skilled manpower. Important minerals of the state are silver, limestone, phosphorite, rock phosphate, copper ore, zinc, gypsum, clay, granite, marble, sandstone, dolomite, calcite, etc. The State has also been taking increasingly progressive measures in public private partnership, especially in infrastructure and social sectors.

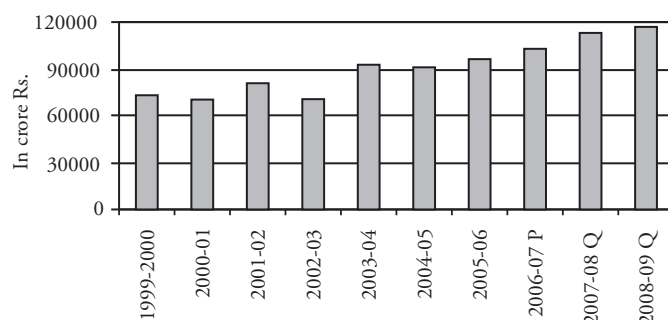
Like most of India, Rajasthan was primarily an agrarian state wherein 50% of its GDP was accounted for by agriculture and allied sectors. In the recent years, the secondary as well as tertiary sectors have registered rapid growth.

The average growth rate of GDP (at constant prices) of Indian economy between 2007 to 2009 has been 7.5%. In the same period, manufacturing sector was growing at an average 5.2% per annum (Economic Survey 2008-2009, Govt. of India). On the other hand, during the corresponding period, overall GDP of State has grown at 6.2% per annum with manufacturing at 6.34%, agriculture at 6.55% and services at 7.54%.

CAGR of India/Rajasthan over 2007-2009

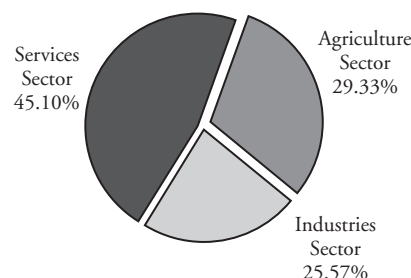
	GDP Growth (constant prices)	Manufacturing Sector Growth
Rajasthan	6.3%	6.3%
India	7.5%	5.2%

Net State Domestic Product



(Source: Department of Planning, Rajasthan)

Sectoral Distribution of NSDP 2007-08A



Small scale industry plays a crucial role in industrial activity and employment generation in Rajasthan. The medium and large scale units also have substantial presence. Rajasthan is the largest producer of cement in the country. Other sectors attracting large and medium scale investment include the automotive sector. Honda Sael and M/s Ashok Leyland are major players in this sector. MICO Bosch, Federal Mogul, and group of Japanese ancillaries are other significant auto-component manufacturers in the State.

Rajasthan is an important manufacturing base for a wide range of products, ranging from gems & jewellery, handicrafts, synthetic and cotton textile yarn, wool, marble and granite slabs, edible oils, chemicals, rubber to plastic based items, fertilizers, electrical and electronic goods, ceramic and glass, etc. Information Technology (IT) and IT enabled Services (ITeS), oil & gas and power generation are the emerging sectors.

Jaipur is emerging as a preferred Tier II city for ITeS industry with the presence of well known players like GENPACT and Infosys BPO. The sheer diversity and richness of tourist attractions and its products e.g. forts, palaces, old and architecturally rich havelies, wild life sanctuaries, a vast expanse of desert as well as a wide array of handicrafts and folk traditions, all have made Rajasthan, one of the most attractive tourist destinations, with all leading hotel chains registering their presence in a significant way.

Rajasthan's development road-map is deeply rooted in the conviction that sound infrastructure drives investment and economic growth. Significant and sustained efforts and investments in strengthening transportation, communication and industrial infrastructure have resulted in a strong physical infrastructure backbone in the State.

Rajasthan is set to emerge as a power surplus state. Major investments in the state sector are in pipeline. The advantage of especially strong surface winds and plenty of sunshine offer huge scope for generation of power. Discovery of oil & gas in Barmer/Jaisalmer areas would spur major developments. The Thar Desert in its underbelly contains millions of tonnes of oil and natural gas and in a few years from now, the desert districts of the State are expected to witness hitherto unexpected all-round development.

Rajasthan is one the few states, which has successfully implemented a number of projects through private sector participation on BOT basis. Private investors can take up road development projects in the form of up-gradation of State Highways, construction of bridges, bypasses, rail over-bridges, and development of wayside facilities.

Jaipur has a fully operational international airport with regular flights to Dubai and Sharjah. Domestic airports are located at Jodhpur and Udaipur with regular scheduled flights to major metros and cities. An air cargo complex is located at Jaipur. Inland container depots (ICD) at Jaipur, Jodhpur, Bhilwara, and Bhiwadi facilitate trade within and outside India.

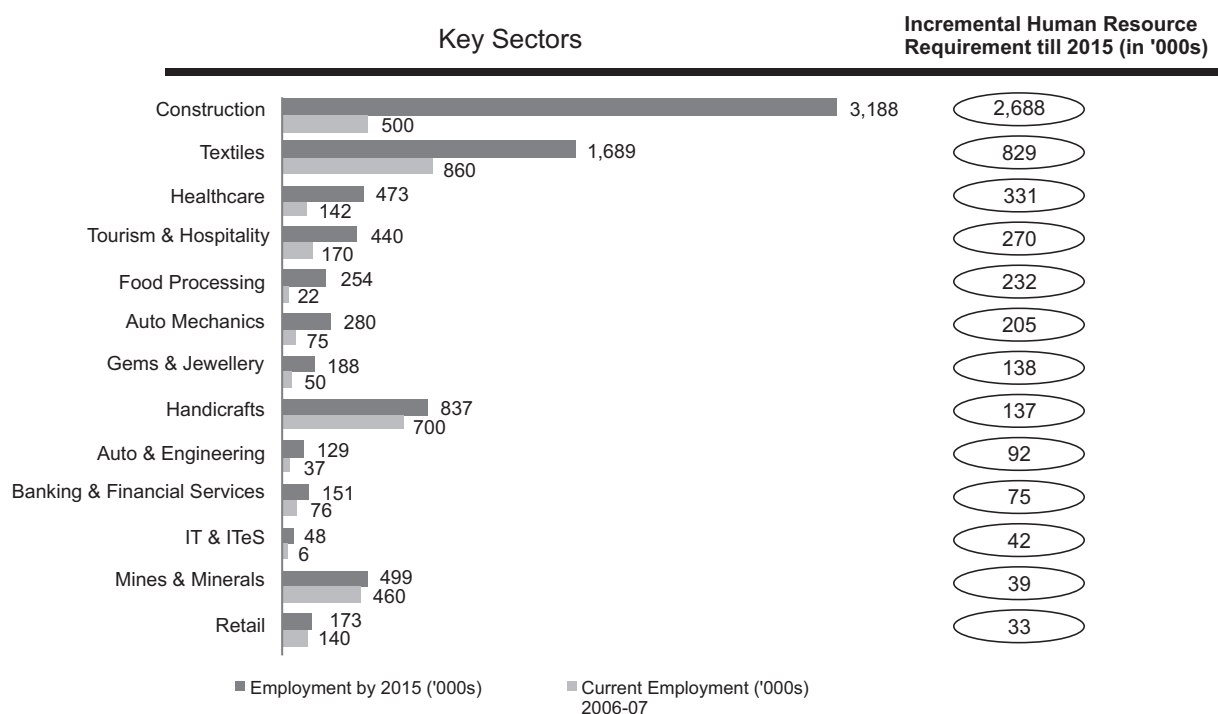
State Government has already taken a series of steps to develop a strong institutional network for technical and professional education in the state. There are over 20 universities, around 100 Engineering colleges, 94 Management institutes and 1,042 colleges. Moreover, there are polytechnic institutes capable of enrolling 11,610 students per annum and 666 Industrial Training Institutes enhancing the skills of around 66,906 people every year. Almost all districts of Rajasthan have an engineering college.

Some of the premier institutes being established in the State are:

All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), National Institute of Fashion Technology (NIFT)

and Indian Institute of Technology (IIT). An Indian Institute of Management (IIM) is also being set in the State. Other notable premier institutes are LNMIIT, NIIT University, Manipal University, National Law University at Jodhpur, Amity University at Jaipur, Vanasthali Vidyapeeth and Indian Institute of Hospital Management and Research, etc. BITS at Pilani is one of the oldest and most reputed national level engineering institutions in the country.

According to a survey carried out by the Department of Labor, Government of Rajasthan, it was estimated that Rajasthan will have an incremental human resource requirement of 5 to 5.2 million persons till 2015. Maximum incremental requirement will be in the construction industry, followed by textiles, healthcare, tourism and hospitality, food processing, auto mechanics, gems and jewellery, handicrafts, auto and engineering, banking and financial services, IT/ITeS, mines and minerals, and retail.



Total Incremental Demand 5 to 5.2 million

Private sector is increasingly being involved in the development of social infrastructure sector and many investment avenues are opening up for them in the education and health sectors.

Existing Investment Promotion Regime

Recognizing the needs of investors, Government of Rajasthan had announced investment promotion policies from time to time Government has also come up with many sector specific policies. Most specific sector policies have been for the service sector.

The last comprehensive industrial investment promotion policy was announced in the state in 1998. This was replaced by Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS) 2003. Several sector specific policies and schemes have also been announced by the State Government from time to time. Such as:

Investment Promotion Policies Currently Operating Are

- ? Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS) 2003
- ? Rajasthan Micro, Small and Medium Enterprises Development Assistance Scheme, 2008
- ? IT and ITES Policy, 2007
- ? Tourism Units Policy, 2007
- ? Policy for Promoting Generation of Electricity through Non-Conventional Energy Sources, 2004
- ? Policy for setting up of Power Generation Projects in the State of Rajasthan, 2005
- ? Scheme for establishing Technical Institutes in lagging areas
- ? Rajasthan Social Sector Viability Gap Funding Scheme (RSS-VGF)
- ? Udyog Sansthan Sahabagita Yojana for private parties to run second shifts in existing government ITIs
- ? Scheme for establishing engineering college under PPP mode in districts where facility of engineering college is not available
- ? Rajasthan Special Economic Zone Policy, 2003
- ? A Single Window Clearance mechanism exists to expedite clearances of industrial and investment projects. (Now being replaced by a comprehensive Single Window Act having statutory backing)

Need for a New Policy

Eleventh Five Year Plan (2007-2012) of the country has targeted average inclusive growth rate of 9% along with 12% growth of the manufacturing sector. Raising the rate of growth of the manufacturing sector to 12% p.a. by the end of plan period is also stated as a priority in the 11th Five Year Plan of Rajasthan.

Economic Growth Targets

Economic Growth Target	Unit	CAGR (2001-02 to 2004-05)		Target for Eleventh Plan	
		India	Rajasthan	India	Rajasthan
Agriculture	%	1.03	1.76	4.10	3.50
Industries	%	6.96	7.43	10.50	8.00
Services	%	8.64	7.08	9.90	8.90
Total Growth Rate	%	6.45	5.68	9.00	7.40

CAGR – Compound Annual Growth Rate (Source: Eleventh Plan Document)

The endeavor of the government is to create sustainable economic growth with increasing participation of the private sector and promote a conducive climate that enables private sector to flourish. Rajasthan has factor advantages in a number of sectors backed by favourable policies and support. However, infrastructure and skills must keep pace with the growth momentum. The rate of job creation

has to be increased so that new job seekers can be absorbed. The new highly knowledge intensive global paradigm presents fresh challenges and opportunities, to remain competitive and secure high economic growth, both sustainable and inclusive.

It is, therefore, crucial to pursue a set of policies that will raise growth rate of Rajasthan in the years ahead, foster competitiveness and build long-term investor confidence. Government has to increasingly redefine its role to being an effective facilitator to minimize the potential barriers, obstacles and restrictions in the growth of private sector.

Present Industrial and Investment Promotion Policy 2010 takes a holistic approach to promote private investment by addressing all the variables that substantially affect the attractiveness of a location as an investment destination. It seeks to achieve a quantum improvement in the numerous, critical components — land, infrastructure, skill-pool, policy environment, investor experience — that constitute the core of the industrial and investment ecosystem.

1

Vision, Objectives, Strategy and Implementation of the Policy

1.1 Vision

Government of Rajasthan is committed to catalyzing investments, accelerating inclusive economic growth and creating large scale employment opportunities for its people.

1.2 Objectives

The main objectives of the Rajasthan Industrial And Investment Promotion Policy 2010 are:

1.2.1 To achieve higher and sustainable economic growth through greater private investment in manufacturing as well as service sectors

1.2.2 To promote environmentally sustainable industrial growth and balanced regional development

1.2.3 To create a supportive policy and institutional environment as well as infrastructure that facilitates and fosters private sector investment and enterprise

1.2.4 To encourage rapid growth of sectors in which Rajasthan has natural or strategic advantages

1.2.5 To achieve optimal development of human capital and promote a knowledge led growth

1.2.6 Enhance employment opportunities for the growing youth population.

1.3 Strategy

The policy interventions are aimed at enhancing enterprise and sector competitiveness while stimulating a substantial increase in the flow of investment from within India and from abroad. The key measures are aimed at:

1. Improving the Business Climate
2. Developing High Quality Infrastructure
3. Enhancing Skills Levels and Employability
4. Ensuring Easy Availability of Land for Projects
5. Encouraging MSME

6. Promoting Identified Thrust Areas

1.4 Implementation

1.4.1 Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS 2010)

Package of Financial Incentives and Subsidies as available in the Rajasthan Investment Promotion Scheme-2003 shall continue till a new Investment Promotion Scheme is announced by the Government.

1.4.2

Similarly, a rehabilitation scheme for sick / closed industrial units is also being formulated and will be promulgated separately.

1.4.3

The various schemes incorporating provisions of the Policy would be issued separately. Bureau of Investment Promotion will circulate available inputs / the draft schemes to related departments (See Annexure).

1.4.4

Necessary administrative orders, notifications and schemes shall be issued by the concerned departments shortly, but not later than six months of the issue of this policy.

1.4.5

A high level Committee headed by the Chief Secretary will be set up to monitor the implementation of the Policy. The Committee will meet at least once in three months.

1.4.6

Appropriate budgetary provision shall also be made to give effect to the various provisions and schemes envisaged in this Policy.

2 Improving the Business Climate

Government would continue its ongoing efforts to improve the business climate, to streamline business entry and operational procedures, and to reduce delays as well as costs of doing business. Effective action would be taken for re-engineering the entire gamut of business regulatory processes and strengthening the supportive institutional framework.

2.1 The key interventions for improving business climate would be:

2.1.1 Strengthening of the Single Window System

- a. Special Packages by Council of Ministers (Cabinet)
- b. Rajasthan Enterprises Single Point Enabling and Clearance Act (RESPECT)
- c. Single Point Electronic Clearance and Monitoring System

2.1.2 Simplification and Rationalization of Regulatory Mechanisms

2.1.3 Setting up of “Udyogik Salahakar Samiti” (Industrial Advisory Council)

2.2 Strengthening of the Single Window System

State Government will bring in legislation to provide for a statutory mechanism to provide single point services to businesses in the State, explicitly stating time limits for providing these services and for transfer of jurisdiction to a single point clearance authority in case permissions are not provided by the competent authorities within the prescribed time limits. The Single Window Act and the Electronic Clearance System will make the Single Window Clearance system more effective and reduce average time required for fructifying investment in the State.

2.2.1 Special Packages by Council of Ministers (Cabinet)

Whenever any special concessions/packages are considered over and above the existing scheme, the matter will be considered by the Council of Ministers (Cabinet). The decisions will be binding on all the departments of the Government to expedite decision making.

2.2.2 Rajasthan Enterprises Single Point Enabling and Clearance Act (RESPECT)

State and District Empowered Committee (SEC/DEC) will be constituted under Rajasthan Enterprises Single Point Enabling and Clearance Act. (RESPECT), for providing single point services to Investment and Business proposals in the State by transferring jurisdiction to a single point clearance authority in case permission are not provided by the Competent Authorities within the prescribed time limits. Such permissions issued by SEC/DEC will have the same force as if they have been issued by the competent authority.

2.2.3 Single Point Electronic Monitoring and Clearance System

An information dissemination portal will be set up as a part of single point service to provide all information relating to rules, regulations and orders that affect investment decisions or investment implementation in the State.

A computerised and transparent system for submission of application forms for various clearances, monitoring of their time bound disposal and facilitating speedy clearances will be set up. This will also have the facility of online tracking of the status of application by the applicant

2.3 Simplification and Rationalization of Regulatory Mechanisms

The process of reviewing regulatory mechanisms prevailing in the State for making the investment climate more business-friendly has already been started. Wherever necessary, simplification and rationalization shall be done in consultation with experts and trade bodies. Some of the measures to be taken are as follows:

2.3.1 The government is compiling an inventory of legal and procedural requirements of various departments or agencies for doing business in the state.

2.3.2 The licences, permissions, approvals etc. and procedures thereof, which are redundant or burdensome, would be rationalized.

2.3.3 Mechanisms will be devised to enforce regulatory measures without harassment. Measures like voluntary compliance, self certification, third-party inspections, etc. will be introduced, wherever feasible.

2.3.4 Provisions relating to Factories and Labour laws, Mining licences and Municipal licences will be reviewed and rationalized on priority as these are expected to provide immediate and substantial relief.

2.3.5 Review of existing mechanism shall be periodically undertaken by a committee headed by Chief Secretary and comprising concerned Administrative Secretaries and representatives of trade bodies.

2.4 Setting up of Udyogik Salahakar Samiti (Industrial Advisory Council)

To establish and strengthen public private dialogue, Government has set up “Udyogik Salahakar Samiti” (Industrial Advisory Council) under Chairmanship of the Minister of Industries. Members of the Council are Principal Secretaries of various departments including Industries, Finance, Tourism, Urban Development and also major trade bodies and industrial associations like Confederation of Indian Industry, Rajasthan Chambers of Commerce and Industry, PHDCCI and Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. The main functions of the Council would be to provide advice on matters relevant for promoting investment and economic development of the state including policy formulation, employment generation, human resource development, skill enhancement and also suggest changes in existing schemes and new initiatives.

3 Developing High Quality Infrastructure

The quality, accessibility and affordability of physical and social infrastructures are major determinants of growth. They complement a good policy environment and institutional framework, to create necessary ambient conditions which are an important pre requisite for attracting investment, sustaining growth of business & industry and creation of employment opportunities.

It is therefore, proposed to enhance the competitiveness of enterprises in Rajasthan by providing quality network of roads, uninterrupted power availability, adequate water, high speed data transfer connectivity, efficient logistics facilities, etc.

3.1 The key interventions for improving infrastructure would be:

- a) Encouraging Public Private Partnership for Infrastructure Development
- b) Creating a Fund for Meeting Critical Infrastructure Needs
- c) Augmenting Industrial Infrastructure
- d) Developing a Gas Grid
- e) Ensuring Water Availability for Investment Projects
- f) Developing Logistics Parks
- g) Making Available Abundant Power Supply
- h) Leveraging Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC)
- i) Developing Special Investment Regions
- j) Developing Industrial Townships and Urban Infrastructure
- k) Ensuring Pollution Control and Environmental Protection Mechanisms.

3.2 Encouraging Public Private Partnership for Infrastructure Development

The state envisions mega investments in the infrastructure sector for its economic growth. Requirement of funds to meet all the infrastructural needs of the state cannot solely be met by budgetary resources of the government. To attract private investment and to leverage its efficiency, to provide quality infrastructure and services at an optimal cost, an enabling policy and institutional mechanism would be developed. The focus sectors where PPP may be contemplated include Power Generation, Transmission and Distribution Projects, Roads Bridges and Bypasses, Water Supply Treatment and Distribution, Airports and Heliports, Inland Container Depots and Logistics Hubs, Information Technology, Land Reclamation,, Industrial/Knowledge Parks and Townships, Urban Utility Services, Tourism, Education, Healthcare, Trade Fair ground, Convention Centres and Urban Transport Systems, etc.

3.2.1 Infrastructure Development Act

An Infrastructure Development Act would be enacted to delineate a legal framework and roadmap for private participation. The Act would create a fair, transparent and clearly

articulated mechanism for private investment in infrastructure sector. It would also facilitate speedy decision, making and attempt to reduce the risk to the developers and financiers in such projects.

The Act would, inter alia, provide for

- a) Adequate legislative and administrative framework for private sector participation in financing, construction, operation and maintenance of infrastructure projects in the State;
- b) A comprehensive legislation for reducing administrative and procedural delays, decision making and identifying generic project risks;
- c) Detailing various incentives, project delivery process and procedures for resolution of disputes when arise;
- d) Other ancillary and incidental matters thereto with a view to presenting bankable projects to the private sector and improving level of infrastructure in the state.

3.2.2 Infrastructure Development Board

To facilitate higher flow of funds into infrastructure sector and to ensure coordination among various government agencies in the State, a Board with statutory powers will be set up. It would be a single point mechanism for expeditious clearance of infrastructure development projects with private participation in PPP mode. Bureau of Investment Promotion (BIP) would function as the secretariat of the Board and shall coordinate and process projects in the State to be considered by the above Board. Resources of BIP would be suitably augmented including hiring services of professional manpower agencies. Functions of BIP for this purpose would include:

- a) Conceiving infrastructure projects
- b) Developing project appraisal guidelines with acceptance/ rejection criteria
- c) Appraising PPP project proposals from technical, financial, risk management and overall policy aspects through conducting techno-commercial and financial feasibility studies
- d) Preparation of Terms of Reference, pre qualification and bid evaluation criteria, Request for Proposals and Concession Agreements.
- e) Coordination with sectoral agencies and departments
- f) Managing the bid process and selection of a private participant through a transparent process
- g) Drafting of model concession agreement
- h) Capacity building among government agencies and their staff
- i) Taking help of outside experts agencies
- j) Administering viability gap funding proposals on behalf of the government
- k) Develop and maintain a program monitoring system for PPP projects in the State by putting in place appropriate framework
- l) Ensure financial and physical monitoring of individual projects, track deviations and identify key action areas for correction.

3.2.3 Viability Gap Funding

Government of India provides Viability Gap support for PPP projects to the extent of 20% of project cost. State would also provide additional viability gap funding up to 20% of project cost, wherever so necessary and critical. State would provide required budgetary support for the purpose.

3.3 Fund for Critical Infrastructure Needs

The State would set up Critical Infrastructure Fund. The Critical Infrastructure Fund will provide funds for projects that are designed to improve critical infrastructure requirements of industrial areas or specialized parks or zones, or for a group of units or any cluster or large projects of significance for the State. The funds for this will be provided primarily by Government of Rajasthan as per need. State would provide the required budgetary support for the fund. Detailed guidelines for operation of the fund will be issued separately.

3.4 Augmenting Industrial Infrastructure

The Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Ltd. (RIICO) has so far developed 321 Industrial Areas by acquiring about 59,000 acres of land. It is continuously acquiring and developing more land. Each industrial area is provided with power, street light, water supply, road linkages and also with basic social infrastructure. RIICO has also embarked upon creation of special purpose industrial parks with excellent infrastructure facilities for a particular type of industry, like Agro processing, Textile, IT, etc. RIICO had also developed 3 SEZs, two in Jaipur for Gem & Jewellery and one for Handicraft in Jodhpur. To strengthen industrial infrastructure, the following interventions are proposed:

- a) Development of New Industrial Areas
- b) Upgrading of exiting Areas by RIICO
- c) RIICO to provide common infrastructure services

3.4.1 New Industrial Areas

A. RIICO

- i. RIICO would develop additional 20,000 acres of land for industrial purposes in the next five years
- ii. RIICO, while developing new industrial areas, would also endeavor to:
 - a) earmark at least 30% % of the land for MSME sector;
 - b) provide land for vendor development and ancillary support to the large projects;
 - c) provide land portion for social infrastructure such as housing areas, schools, hospitals, etc.
 - d) allot land after proper infrastructure development of the area.

B. Development of Private Industrial Parks

- i. The State Government will encourage participation of private sector for setting up Industrial Parks/Estates.

- ii. The State Government shall facilitate setting up of such parks by providing road, water supply, and power transmission lines (up to such areas) at the same terms as are applicable to the RIICO areas.
- iii. Promoters of such private industrial park may submit their proposal to BIP availing above benefits.
- iv. However to ensure systematic and planned development of industrial parks, the layout plan would be finalized in concurrence with RIICO or as per norms prescribed for this purpose.
- v. RIICO shall also provide undeveloped land for development of sector specific industrial areas.

C. Specialized Industrial Parks

Product specific parks/clusters will be developed as per needs of each sector. The following new product specific industrial areas and investment hubs will be set up:

- i. Glass and Ceramic Complex in DMIC region
- ii. Automotive-zone in DMIC region
- iii. Leather Complex /Park
- iv. Knowledge City catering to the education, entertainment, health, recreation, research and information technology sectors.
- v. Educational institutions Hub

3.4.2 Upgrading of Existing Areas by RIICO

- i. RIICO would undertake a drive to improve the infrastructure in its existing Industrial areas over the next five years. Works would include the upgrading of service infrastructure and common facilities. Works may entail road resurfacing, improvement of rainwater harvesting systems, service trenching and upgrading of service networks, paving, landscaping and signage, etc.
- ii. RIICO would take up at least 5 flagship or major Industrial areas every year for state of art upgrading. The Government may subsidize up to 25% of the cost of upgrading industrial areas of RIICO, if required.

3.4.3 RIICO as a Provider of Common Infrastructure Services

To upgrade the infrastructure in industrial areas, RIICO may expand its scope of services to include effluent treatment plants, provision of power, water and quality access roads for a select number of large industrial areas, on its own or in PPP mode.

3.4.4 Promotion of SEZs

- i. State already has an SEZ Promotion Policy. The provisions in the Policy are aimed at providing an enabling environment and assuring the State's commitment for promoting SEZs. Apart from the existing three SEZs in the government sector and one mega-SEZ, Mahindra World City, in the joint sector, there are 8 approved SEZs and 7 of them are notified.
- ii. A new SEZ Act is being enacted under which a number of concessions are to be provided for SEZs to be developed in the State, including exemptions in luxury tax,

electricity duty, lease and registry fee. The new legislation would accord an identical status to the developer and co-developer of SEZ and levy only a token amount as land conversion fee.

3.5 Development of Gas Grid

Major gas pipelines, both existing and proposed, pass through Rajasthan. Some projects in the State, like fertilizer manufacturing units, use natural gas as raw material. Gas based power plants are also in the offing at Dholpur, Mathania and Ramgarh. Gas pipeline is being laid to supply gas to industries in Bhiwadi-Neemrana region. However, the State has yet to develop proper Gas Grid to tap natural gas as a cheaper, abundant and cleaner source of energy for its development. The pipeline network can play a pivotal role for development of Gas Grid in Rajasthan to cater to the demand of Natural Gas in industrial and domestic sectors of the State.

Feasibility Report for creation of a Gas Grid in Rajasthan has been prepared by the Indian School of Petroleum by the Mines and Petroleum Department. Major initiatives shall be taken for development of State-wide gas grid for tapping the energy resource with private sector participation

The role of Rajasthan State Petroleum Corporation would be enhanced to include activities like oil refining, pipeline transport, gas retailing, city gas distribution, oil exploration and oil field support services. RSMML would contribute Rs25 crore to strengthen the financial base of this Corporation.

3.6 Water Availability for Investment Projects

Water, besides other infrastructure components, is vital for a healthy investment climate.

3.6.1 While designing and formulating new dams and irrigation projects, 10% of water would be reserved for industrial and service sector use.

3.6.2 There is a scarcity of water in the state. Therefore, industries would be encouraged to reduce, reuse and recycle water. For setting up treatment plants, benefit could be availed from existing schemes of GOI and GOR.

3.6.3 Feasibility of sourcing water from reliable and perennial sources would be explored. Suitable projects for making water available to major industrial and investment regions would be undertaken, preferably on PPP mode.

3.7 Development of Logistics Parks

3.7.1 Government recognizes the importance of logistics as a strategic variable. The activities within the sphere of logistics involve inland freight transportation, warehousing, material handling, protective packaging, inventory control, order processing, and marketing, forecasting and customer service.

3.7.2 In the railway sector, construction of the Dedicated Freight Corridors (DFC), connecting the eastern and western quadrilaterals and future of development of DFC for other legs of the quadrilateral and diagonals of the IR network will usher in a 'new age' in freight

transportation in terms of improved transit, assured availability of rolling stock, reliability of service and, most importantly, reduction in unit cost of transportation.

3.7.3 Currently, there are three CONCOR rail head ICDs in Rajasthan — Kanakpura (Jaipur), Jodhpur and Kota. With burgeoning in the State, one more ICD is being set up in Khemli near Udaipur where business potential is quite high owing to strong stone exports.

3.7.4 Multimodal logistic parks will be developed in at least three regions in DMIC at Neemrana-Bhiwadi region, Bhilwara-Chittorgarh region and Jaipur region. The Government would support private sector for development of logistic parks in the state in PPP mode and by private sector.

3.8 Making Available Abundant Power Supply

3.8.1 Present installed capacity in Rajasthan is 7716 MW (as on 1.12.2009). A capacity addition of around 10,000 MW is planned by FY 2013-14. Present installed capacity of renewable sources is 883 MW which includes 852 MW from wind energy. The capacity addition programme is in line with National Electricity Policy and guidelines issued by Government of India.

3.8.2 Significant improvements have been made in this area by Rajasthan in the recent past (Feeder Renovation Program). Proactive monitoring and proper project management would be essential to ensure that the progress made so far continues to go forward.

3.8.3 To meet the future goals and the growing demand in the state, the Government of Rajasthan would encourage private participation in generation of power from conventional as well as non-conventional sources.

Specific initiatives to be taken up in the power sector are:

3.8.4 Green Energy Drive

- a) Rajasthan can be the powerhouse of grid connected renewable energy because of its huge potential, particularly in solar energy. On January 11, 2010, “National Solar Mission”(NSM) has been launched. The NSM aims to promote the development and use of solar energy for power generation with the ultimate objective of making solar energy competitive with fossil-based energy options.
- b) Rajasthan has huge solar power potential and vast stretches of barren land are available. The state can lead in this sector if adequate incentives/rebates/exemptions are provided.
- c) Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited is working as a nodal agency for promotion of generation of electricity from renewable/non-conventional energy sources. The State Government has issued a comprehensive Policy for Promoting Generation of Electricity through Non-Conventional Energy Sources, 2004 which is presently in force.
- d) The existing policy provides various incentives to the investors/power producers for promoting generation of electricity from non-conventional sources. Land is made available for setting up of such power projects on concessional rate (@ 10% of DLC

rate), besides various other incentives. Generation of electricity from renewable energy sources is treated as eligible industry under the schemes administered by the government.

- e) The State Government is in the process of issuing separate policies for generation of electricity from Biomass, Wind & Solar sources of energy respectively. Bureau of Investment Promotion shall facilitate execution of investment projects in Green Energy sector in co-ordination with Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited.

3.8.5 SPV for 24x7 Power Supply to Industrial Clusters/Parks

- a) As per existing provisions of Indian Electricity Act, an SPV can be set up for captive power distribution to industrial areas or industrial user groups.
- b) The State Government will encourage setting up of such captive electricity distribution companies in SPV mode to ensure continuous and uninterrupted power supply. Industrial units in a particular area can enter into a long term agreement with the SPV for providing power. Required space for the generating plant shall be provided in the industrial area. The SPV will be responsible for co-ordination with concerned authorities for eliciting required approvals.

3.9 Leveraging Delhi-Mumbai Industrial Corridor

3.9.1

As a part of key initiatives to achieve sustainable growth of economy and to overcome the bottlenecks for freight movement between the industrial regions and major ports of the country, Government of India plans to develop Dedicated Multi-modal High Axle Load Freight Corridors along the Golden Quadrilateral and its diagonals linking Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai.

3.9.2

In addition to development of the Delhi-Mumbai Freight Corridor (referred as the Western Dedicated Freight Corridor), a “Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC)” is also being set up. The purpose of DMIC is to create strong economic base in the bandwidth of 150 km on both sides of the DFC and provide globally competitive environment with state-of-the-art infrastructure to promote local commerce, enhance foreign investments and attain sustainable development. In addition to the influence region, DMIC would also include development of requisite feeder rail/road connectivity to hinterland/markets and select ports along the western coast.

3.9.3

State of Rajasthan is very strategically located with regards to Delhi-Mumbai Freight Corridor. Nearly 39% of the total length of this corridor passes through Rajasthan and 46% of the total DMIC Project Influence Area (PIA) falls in Rajasthan. Some of the major districts of the state falling under DMIC include Alwar, Ajmer, Bhilwara, Chittaurgarh, Dausa, Jaipur, Jodhpur, Jhunjhunu, Kota Nagaur, Pali, Sikar and Sirohi.

3.9.4

DMIC presents a major development opportunity for the State. Development of appropriate infrastructure along the DMIC would be key to driving industrial development and growth in the region.

3.9.5

Some Early Bird projects identified for development along the DMIC in Rajasthan are:

i. **Shahjahanpur-Neemrana-Behror (SNB) Knowledge City**

State Government proposes to develop a Knowledge City which would be an integrated education-based Township housing a conglomeration of academic institutions/branch campuses imparting education in a variety of technical and vocational trades.

ii. **Central Spine Connecting Global City with Bhiwadi-Tapukara Industrial Complex via Ajarka**

The area falling between proposed Global City and Bhiwadi-Tapukara complex within Rajasthan border is strategically located for future industrial and non-industrial development. Accordingly, a central spine project connecting Global City with Bhiwadi-Tapukara complex is envisaged.

iii. **Greenfield Airport Project**

A Greenfield Airport is proposed to be set up in the DMIC region. This would include an airport, business park, logistics park, industrial park, cargo warehousing park, distribution centres, information technology complexes, wholesale merchandise marts, tourism and educational park, residential and other infrastructure(s) located in and around the airport.

3.10

Development of Special Investment Regions

3.10.1

Industrial development in the State would be moved to the next stage of evolution from present approach of developing clusters, specialised parks, industrial areas and estates to development of Special Investment Regions (SIR) as a new model. These investment regions are expected to bring in large investments, economies of scale, and world class infrastructure arrangements. Large chunks of area, 100 sq km or more, will be set aside for development with their own industrial, social and urban infrastructure benchmarked to global standards, to attract global as well as domestic investments. These SIRs are expected to synergise with upcoming DMIC and DFC projects.

3.10.2

To enable developing such large scale industrial areas, SIR Act shall be enacted. The purpose of the Act may be:

- i. To enable the Government to establish, develop, operate and regulate the Special Investment Regions in the State.
- ii. The State Government would be empowered to declare Investment Region or Industrial Area and designate them as Special Investment Region (SIR) by notification in order to quicken the process of land acquisition.
- iii. The Act would also allow the Government to set up regional development authorities for each SIR.
- iv. The regional authority will help acquire land by negotiating with private land owners. It will have power to transfer government land for activities to take place in the SIR. And, it will give right to the developer of the township in an SIR with powers to convert land

meant for agricultural purpose into non-agricultural land.

3.10.3 The first SIR may be set up in the Shahjahapur-Neemrana-Behror (SNB) area to house one million people with world class infrastructure for industrial and non-industrial investment.

3.10.4 National Manufacturing and Investment Zone

National Manufacturing and Investment Zone will be set up in the DMIC region to attract investments and provide quality infrastructure and support.

3.11 Developing Industrial Townships and Urban Infrastructure

3.11.1 Industrial development and urban development are complementary to each other.

3.11.2 Integrated Industrial Areas/Townships

To check unplanned growth around industrially developed hubs, government would promote setting up of Integrated Industrial areas/townships with housing and other urban facilities. Private sector would be encouraged for this.

Upto 30% to 40% of area of large sized integrated industrial areas/townships would be earmarked for activities like housing and related social infrastructure. Infrastructure like water supply, street lighting and other municipal services would be ensured by the competent agency responsible for integrated industrial area/townships development.

3.11.3 Town & Country Planning Act for planned urban development and investment in urban areas is under formulation and shall be enacted shortly.

3.11.4 Efforts shall be made to develop facilities like Trade and Finance Centres, Corporate Headquarters, Exhibition Centres, Convention Centres and other facilities in and around major urban Centres for smooth and rapid execution trade and business.

3.11.5 Jaipur shall be developed as a world class global city. Towards this end the following projects will be set up in Jaipur, preferably on PPP mode:

- a) World Class International Trade Fair Complex
- b) World Class Convention Centre.
- c) International Gems Bourse
- d) Education Township

3.12 Ensuring Pollution Control and Environmental Protection

3.12.1 Imperatives of industrial development have to be juxtaposed with the need to protect and preserve environment. The State would take suitable policy measures to encourage environment friendly, low polluting and water efficient industries.

3.12.2 Department of Industries in close co-ordination with Department of Environment and Rajasthan Pollution Control Board (RPCB) will build awareness, educate and engage the industry in reducing our environmental footprint.

3.12.3 Industries Department would also facilitate along with RPCB to review and rationalize some of the existing list of green, red and orange categories of industries to reduce avoidable

renewable burdens without compromising on environmental protection needs.

- 3.12.4** Emphasis would be placed on developing green industrial parks/estates with a vision for next 20 years. Green “environmental standards” would guide their planning and execution.
- 3.12.5** RIICO would encourage water harvesting and recycling in all its industrial areas existing and new.
- 3.12.6** State would encourage and incentivise recycling of electronic waste and setting up of e-waste recycling units. Waste electrical and electronic equipment or e-waste, comprises electronic and electrical devices which are surplus, obsolete or broken.
- 3.12.7** Information Technology (IT) and IT enabled Services units would not ordinarily require air and water clearances. Pollution Control Board may issue suitable guidelines for this.
- 3.12.8** To encourage environment friendly technologies, the State would continue its support for setting up of common effluent treatment plants and recycling and reuse of waste water in industrial areas or by individual units as detailed in MSME policy.

4 Enhancing Skill Levels and Employability

All sectors of the economy increasingly rely on knowledge and skills of its people. Therefore, skill development for improving employability of the people of Rajasthan is a major priority area of the State Government.

The Policy aims at building industry and market driven specialized skills and thereby enhancing employability of the workforce in the State. This would be done primarily with involvement and participation of the industry and other stakeholders.

Efforts will be made to promote not only setting up of technical and vocational training institutes in the State but also to equip the existing ITIs, Polytechnic, Engineering and Degree Colleges with training capacities to raise work force productivity and employability. The new employment opportunities not only call for enhanced functional skills, sector-specific competencies across levels, and also several “soft” skills. The idea is to create a ready talent pool for sectors such as Auto & Engineering, Healthcare, Textiles, Mines & Minerals, Oil & Gas, Food processing, Tourism & Hospitality, Handloom & Handicraft, Construction, and IT/ITES. The key interventions would be:

4.1 Upgrade Industrial Training Centres into Centres of Excellence

- I. Since the existing ITIs are not producing enough trained manpower as required by the industry, a new scheme in PPP mode was conceived by the Government of India (Scheme to Upgrade Industrial Training Centres into Centres of Excellence) to improve the training for producing multi-skilled workforce, thereby leading to better employability.
- II. Rajasthan would motivate industry to adopt more such ITIs on the basis of a new scheme on similar lines as the Government of India Scheme. Institute Management Committee would be empowered and given more authority in the State Scheme.

4.2 “Train to Gain Scheme” for On-the-job Training

- I. To enhance the employability of our workforce and help employers to get skilled manpower suitable for their work, Government would support companies which provide on-the-job training at their premises to convert the raw recruits to skilled manpower.. For this a new scheme called “Train to Gain Scheme” would be introduced.
- II. Employers would be provided subsidy upto 50% of the salary or stipend paid to such trainees limited to Rs2,000 per trainee/per month. Employers benefiting under the Scheme are expected to provide employment to 50% of the trainees.

4.3 Skill Mapping and Survey

- I. A designated agency would carry out ongoing research on kinds of emerging opportunities for skill/employment in various sectors/trades in the Indian market with special focus on services, self employment and entrepreneurship, in addition to the

manufacturing sector.

- II. The informal sector contributes significantly to employment in Rajasthan; there are an estimated 1.84 million enterprises in the informal sector in the State, generating employment for 2.9 million workers. Also, over 70% of the enterprises in the informal sector are currently involved in activities related to manufacturing, trade, and repair activities. (Source: Department of Labour, Government of Rajasthan website)

A separate survey of informal sector workers to identify these workers, and map their skill levels would be undertaken. Based on the findings of the survey, an intervention package will be worked out.

4.4 Skill Development for Service Sectors

Highly skilled, English speaking manpower is a key prerequisite for attracting companies in IT, ITeS and other service sectors like hospitality. It is important that state has manpower that is proficient in English. For this, a training program for augmenting basic English speaking and writing ability in the state would be implemented.

In order to institutionalize the training program and maximize its reach, the state will take the following steps:

- I. Develop certification for the program together with leading educational institutions in the world.
- II. To ensure widespread implementation of such courses, the extensive network of colleges and private training providers throughout the state would administer the diploma programme.
- III. The existing English curriculum in schools, colleges and polytechnics would also be redesigned to ensure higher standards of spoken and written English.
- IV. A comprehensive curriculum for teacher training would be developed to ensure adequate number of trainers to conduct the courses.

4.5 Utilising Existing Training Infrastructure

Government would make available a list of existing educational institutes, existing classroom facilities at ITIs, schools and colleges which can be utilized for conducting training programs. Private training provider may use these premises for running their training programs.

4.6 Entrepreneurship Development

- I. In order to encourage micro enterprises in rural and backward areas the Government will continue its support for establishing Rural Development and Self-Employment Training Institutes (RUDSETI's) in all districts of the State. Over the next five years, the Government of Rajasthan will endeavor to establish one RUDSETI in each district of the State. The management of these institutions will be largely through private initiative.

4.7 Benefit from National Skill Development Initiative

National Skill Development Initiative of the Government of India aims to empower all

individuals through improved skills, knowledge and nationally and internationally recognized qualifications to gain access to decent employment and ensure India's competitiveness in the global market. Special efforts will be made to take maximum advantage of existing Government of India schemes and dovetail them with State Government initiatives. Labour and Employment department would coordinate and continuously monitor progress of these.

4.8 Implementation of New Schemes

Public Private Partnership between the Government and Industry will be promoted to enable development of skills as per Industry and market demands.

I. Scheme for Industrial Area/Cluster Based Training Centres

To develop training infrastructure at the doorstep of industrial areas or clusters, a new scheme to promote skilled manpower to manufacturing and service sector units in the Industrial estates/Industrial Parks/Industrial Clusters and SEZs, etc. shall be launched. Under the scheme, financial assistance will be provided for land, building plant and machinery, etc subject to maximum limit of Rs1 crore.

II. Schemes for New Industry Linked Courses in Existing Institutes

There is need for improving curriculum and quality of training by the existing training and educational institutes to improve their employability as per requirement of the job market. Specialized courses in partnership with industry would be introduced at select educational institutes with necessary infrastructure and faculty through following measures:

a. Lead Institutes for Developing New Training Courses

- i) Lead Institutes which can be any university or reputed technical or professional institution or body operating in Rajasthan would be selected for developing new training courses, benchmarking the existing courses against international curriculum, conducting the new courses in specific focus sectors such as tourism, agro processing, construction, IT/ITES, auto & engineering and textile.
- ii) The existing ITIs/ Polytechnics/ Engineering colleges /Degree Colleges would run the new courses.
- iii) Such institutions will be provided financial assistance including capital and operating expenditure reimbursement.

b. Short-term Bridge Courses by Industry Partner

- i. Any industrial house/industries association/institutes can conduct need-based specific training courses for a definite period in the existing ITIs/ polytechnics/ engineering colleges /degree colleges.
- ii. The industry partner would be responsible for providing training material, equipment and technical support, mentoring, training the faculty of the host institution for smooth conduct of the course and building the required capacities within the host institute. The cost of machinery & equipment of up

to 75%, limited up to Rs100 lakh would be subsidized by the Government.

III. Schemes for Establishment of New Training Facilities

To incentivise the private sector to set up new training institutes, the following new schemes are proposed to be introduced:

a. Scheme for Skill Training Institutes in Private Sector

- i. The State Government will launch a scheme to support setting up of Skill Training Institutes in private sector by reputed institutes, bodies, industry associations that can impart vocational and technical skills, primarily based on employment opportunities.
- ii. Under the scheme, any institution promoted by private sector will be provided assistance upto 75%, with a ceiling of maximum Rs2 crore of the project cost to cover fixed capital investment excluding land cost.

b. Rajiv Gandhi Skill Schools

- i. To provide vocational training to youth, primarily the poor, school drop-outs, etc. and to make them “employable” in organized sectors, GoR would support leading players in education and training field, to set up state-of-the-art Rajiv Gandhi Skill Schools (RGSS). These Schools shall provide high quality, market driven, placement linked training in specific areas to the targeted youth and would have infrastructure facilities like institutional buildings, class rooms, tool room, laboratories, workshops, hostels, canteen, etc., with a capacity to train at least 1000 students every year.
- ii. These schools would be set up under a tripartite arrangement between the State Government, the training agency and an industry partner.
- iii. The trainer will develop course material and content, mobilize the required infrastructure with faculty, and even be responsible for raising resources by dovetailing various schemes of the central and state governments.
- iv. After establishing the School, the trainer would be responsible for the entire operation and maintenance of the School.
- v. Government Support would be the provision of initial infrastructure and capital.
- vi. Government would normally partner with an industry association or industrial house to share the cost of initial capital and operating costs. The pass-outs from these schools would normally be absorbed by the industry partner or members of the association.
- vii. A detailed scheme would be worked out for setting up of the RGSS.

c. Establishment of Technical Institutions

To encourage establishment of Technical Institutions like Engineering, MBA, MCA, B.Pharm etc, in rural areas, land would be converted for such purpose without any conversion charges. Where investment of Rs50 crore or more is obtained for establishing such institutions, the promoter may be offered land at 50% of reserve price of land for industrial use.

5 Ensuring Easy Availability of Land

Prompt and easy availability of land for investment projects at a reasonable price is one of the main concerns of most investors. Being the largest state in India with large tracts of waste and less fertile land, land would be leveraged as a resource to attract and facilitate investments in the State.

- 5.1** The key interventions for easing availability of land would be:
- I. Easing Procedures for land use change/conversion of land/approvals of layout plan/building plans etc.
 - II. Simplifying land acquisition process
 - III. Creating a land bank
 - IV. Formulating New Policy guidelines to leverage land for investments.

5.2 Easing Procedures for Land Use Change/Conversion/Approvals of Layout/Building plans

5.2.1 Wherever a particular use of land is specified in the master plans of the towns and cities such land can be used for such specific purposes without any permission for change of land use. For example, if any area is shown for industrial or commercial use, such areas can be used for such industrial or commercial purposes without any permission for change of land use.

5.2.2 The existing provisions of the Rajasthan Land Revenue (Conversion of Agricultural land for Non-Agricultural purposes in rural areas) Rules, 2007, provide that application complete in all respects shall be disposed off within 30 days of the receipt of application.

5.2.3 Conversion is often delayed due to NOCs required by the concerned competent authority from some departments or agencies e.g. Forest, Environment, Town planning, Panchyat, etc. To expedite conversion, henceforth, a maximum time of only 15 days will be allowed to such departments and agencies to respond. If no comments are received within 15 days, it will be deemed that there is no objection to such conversion by such department or agency. Competent authorities shall dispose off the application for conversion as per rules without waiting for any formal NOC from such department or agency. In case an application is found incomplete in any respect, as per provision of rules, concerned authority shall inform the applicant within 15 days of receipt of application, with details of all reasons why the application is found so incomplete.

5.3 Simplifying Land Acquisition Process

5.3.1 A clear policy to ensure fair and transparent acquisition of land will be framed which would protect farmers' interests as well as facilitate speedy availability of land for infrastructure and

other investment projects. For projects envisaging investment Rs100 crore and above if 25% of land is purchased by the developer on his own, the Government may facilitate acquisition of the remaining 75% land.

5.3.2 To ensure fair compensation to the land owners and avoid dispute and litigation as to compensation amount as far as possible, a committee with representatives of Revenue, Finance and Industries departments, may be constituted which would assess and suggest the fair market price of the land under acquisition to the land acquisition officer to help him determine the award objectively.

5.3.3 Except in cases of acquisition of land for Single Unit Complex and infrastructural projects, an option to the land owners may be made available to get part of the developed land in lieu of specified monetary compensation. Such land owners would be free to use such land for the purpose for which these lands are offered i.e. its use may be for industrial, commercial or residential as may be deemed fit in each particular case.

5.4 Creating Land Bank

5.4.1 Jamabandis (land records) have been extensively computerized in the state. The Government plans to make available this information on-line in due course.

5.4.2 Efforts will be made to identify and utilize government waste lands in different parts of the State for employment generating industrial and investment activities. Inventory of surplus and unused land available with PSUs, State Govt., Urban Local Bodies (ULBs) will be made to create a Land Bank. This will enable the State to offer ready to use land to investors.

5.4.3 It is planned to undertake an advance valuation of such parcels of land which would subsequently be allotted to investors on the recommendation of Industries Department or the Bureau of Investment Promotion. This will enable the State to offer ready to use land to investors.

5.5 Formulating New Policy Guidelines for Investments

A set of policy guidelines will be formulated to clearly delineate provisions relating to concessional allotment of land for various purposes and norms thereof. Provisions for increased FAR in certain cases, time bound allotment by designated authorities, option of annual lease rent in place of upfront full payment, etc. will be included in the guidelines.

6

Focus on MSMEs Growth

A vibrant MSME sector is critical for investment, growth, employment creation and poverty reduction. By its less capital intensive and high labour absorption nature, the MSME sector can make significant contributions to employment generation and also to rural industrialization. MSMEs are facing tremendous challenges to survive and sustain. Required interventions have been made in the MSME Policy to address basic problems of access to finance, R&D investment, access to technology, product innovation, marketing & e-marketing support, etc.

6.1 Incentives to MSME under MSME Policy launched in 2008 would continue.

6.2 Cluster Development

The state will continue to accord priority to cluster development of MSMEs in the entire state.

6.2.1 New Initiatives

- I. Government accords highest priority to promotion of clusters in the state. Strengthening of existing clusters and identification of new clusters would be undertaken.
- II. In addition to existing provisions in MSME Policy 2008 for supporting cluster development, following new measures are contemplated:
 - a. **A Scheme for Financial Assistance for Cluster Development in SPV Mode** would be introduced with following features:
 - i. Government will encourage MSME entrepreneur associations to set up MSME clusters by floating SPVs for undertaking infrastructure development and for providing common services like common effluent plant, design development and other services for common benefit.
 - ii. Anchor units, nodal institutions and/or industry associations developing a cluster having critical mass of minimum 20 units would get financial assistance for taking up activities for developing common facilities that lead to improvement of productivity and cost efficiency among member units in the cluster. Such activities include R&D laboratory/testing laboratory, creating information/data bank for market intelligence, creating common branding and market development activities, display of products and common processing facilities etc.
 - iii. Government will convert private land for establishing MSME clusters without any conversion charge.

- iv. Government land will be allotted at 50% of DLC rates if such clusters are planned on Government land. Government will also undertake access road provision at its cost for such clusters.
 - v. Government shall provide financial assistance upto 10% of the total project cost of cluster Development Plan, within a ceiling of Rs1.50 crore. This financial assistance would be provided for the project approved by Government of India under their Cluster Development Programme and shall be apart from the assistance provided by Government of India.
- b. Last Mile Connectivity
- I. Cluster are also eligible for assistance under the Critical Infrastructure Program for getting last mile connectivity for creation of infrastructure of power supply, water supply and approach road at the doorstep of such parks.
 - II. The cost of the internal infrastructure of the park such as roads, water supply, power supply, effluent treatment, common facility centre shall be borne by the developers.

6.3 Leveraging Government of India Schemes and Funds

6.3.1 Relevant schemes like ASIDE, Credit Guarantee Fund Trust Scheme, Cluster Development Programme for MSMEs, Credit Linked Capital Subsidy Scheme, and Technology Upgradation Scheme being operated by Government of India and various Promotional Schemes of different Ministries of Government of India will be suitably dovetailed for the benefit of MSME Enterprises.

6.3.2 A dedicated fund of Rs5 crore per annum will be set up for contribution of State's share in such Government of India's Schemes. A nodal officer will be designated to co-ordinate and monitor implementation of these schemes in the Office of the Commissioner of Industries.

6.4 State Government would support measures to revitalise RHDC (Rajasthan Handloom Development Corporation). RHDC shall take up projects for the training of weaver groups under SGSY (Swarna Jayanti Swarojgar Yojna) and DPIIP (The District Poverty Initiatives Project, The World Bank)

6.5 To encourage women entrepreneurs in micro and cottage industry, Rajasthan Financial Corporation will launch a special scheme of providing loan at subsidised rates.

7 Promotion of Thrust Areas

Employment quotient per unit of capital is comparatively higher in certain sectors. Rajasthan has a competitive advantage in some sectors like agro processing, textile, mineral products, handicraft, handloom, gems and jewellery which have a major share in the industrial output. The state also has a strong raw material base for many of these sectors. Special encouragement shall be given to all these sectors as thrust areas.

7.1 The State Government would make special endeavor to promote investment in the following thrust areas:

- i. Knowledge sector including IT and ITES
- ii. Tourism
- iii. Mining and Mineral Processing
- iv. Gems and Jewellery
- v. Agri-business
- vi. Textiles and Apparel
- vii. Mega Investments
- viii. FDI/NRI Investments
- ix. Handicrafts and Handloom
- x. Exports
- xi. Development of Backward Areas
- xii. Green Industries
- xiii. Other labor intensive sectors

7.2 The State Government already has sector specific policies for many of these sectors e.g. tourism, mining, ITES, etc. These policies will continue to remain in place.

7.3 The existing policies shall be reviewed on need basis to make them more investment and business friendly. In addition to provisions in the existing policies, following further interventions are stipulated in these thrust areas:

7.3.1 Knowledge Sector

- I. The government would promote expansion of knowledge and high skill based activities like information technology, knowledge and business processing outsourcing. Government has already reserved 3% of its annual budget to ensure growth of e-Governance and create a citizen-centric and business-centric environment for governance.

II. District BPO SCHEME 2010

- a) A scheme would be formulated to encourage private players to set up BPO Centres in Tier III towns like Ajmer, Jodhpur, Kota, Bikaner, Udaipur, etc. to take ITES

industry into the hinterland of the State. This would create huge employment opportunities for those living in these areas.

- b) As a part of the District BPO Scheme 2010, the Government will provide various financial benefits such as capital investment subsidy of 50% of capital cost up to Rs20 lakh for development of training infrastructure / facilities. The scheme would also provide for subsidizing the operational cost of training upto 50% of such cost not exceeding Rs10,000 per trainee. The companies, in turn, have to guarantee that a certain number of the trainees will be employed on their rolls. The candidates will also have to agree to work in the company for at least a year.

7.3.2

Tourism

I. Land for Tourism Sector

- a. Allotment of land for Tourism units would be as per rates provided in Tourism unit Policy 2007. Conversion of agricultural land in urban and rural areas is fully exempt from conversion and development fees. The existing provisions for auctioning land for tourism units will be reviewed.
- b. Since tourism has been declared an industry, RIICO would provide land in its industrial areas to tourism units at industrial rates.

II. Padharo Sa: Wayside Facility Scheme

- a. 'Padharo Sa' is an innovative intervention strategy to create more employment opportunity in Tourism sector through development of quality wayside facilities with private sector participation, to provide the following benefits:
 - i. Easy access for quality food, toilet facilities, souvenirs.
 - ii. Efficient and quality services
 - iii. Large scale employment
 - iv. Investment from small scale entrepreneurs in tourism
- b. 'Padharo Sa' units will have typical designs and will be branded. Type of units includes restaurants, souvenir shops. Public telephones, and coffee shops.
- c. The approved units will also be provided with 25% of the cost of construction/renovation as incentive subject to a maximum of Rs5 lakh.
- d. The State Government plans to develop 100 such wayside units in the State over a period of two years.

7.3.3

Mining & Mineral Processing

7.3.3.1

Priority for allocation of mining leases, to applicants on value addition basis, under section 11 (5) of Mines & Minerals Development Act, 1957 (or the corresponding section in the new act) shall be decided on the basis of following criteria in the order listed below:

- a. Quantum of investment (minimum Rs100 crore as certified by Bureau of Investment Promotion)
- b. Value addition at ore stage
- c. Induction of new technologies

- d. Creation of Infrastructure
- e. Mechanization, automation and computerization, Sustainable development and R&R practices.

7.3.3.2

To encourage value addition of natural resource, government would consider requests for a grant of mining of minerals such as gypsum, lignite, silica, etc. for captive use of industry set up in the state on a priority basis. For this appropriate provisions will be made, if necessary.

7.3.4

Gems and Jewellery

Rajasthan has a long tradition of gems and jewellery industry employing lakhs of artisans. Enterprise and skills of our businessmen and artisans has helped the state to make a mark internationally. To further strengthen this industry, following supporting measures will be taken:

- a. Government will provide support for setting up of national/international level Gems & Jewellery training centres. Land will be allotted at 50% applicable reserve or DLC rate to accredited institutes or upto 10% of coupon rate.
- b. Industry associations will be provided interest subsidy to set up Hallmark Certification Centres and Gems Testing Centres, if established as a separate legal entity with non-profit objective.
- c. **Gem Bourse:** Government shall promote setting up of a Gem Bourse of international standards. Land will be provided at a centrally located place in the city, at a concessional rate. This project would have to be established as a separate legal entity with non-profit objective.

7.3.5

Agri Business

- I. To ensure that the farmers get good value for their produce, a new policy, The Policy for Promotion of Agri-Business and Agro-processing Industries, will be announced. The policy would encourage setting up of agri-business and agro-processing units in the state, promote and develop the entire value chain of agro-processing and marketing, including development of supply chain, market development and diversification.
- II. A spice park is being set up in Jodhpur.

7.3.6

Textiles & Apparel

To ensure that garment industry flourishes in Rajasthan and a large number of people get employment in the industry, the Government would support such garment companies which provide on-the-job training to convert the raw recruits to skilled manpower. A detailed scheme would be formulated that would include provision for capital subsidy for installing training equipment and facilities. Part of the trainers' cost and stipend to the trainees would also be subsidized

7.3.7

Attracting Mega Investments

- I. To ensure that the state transforms into a global investment destination, development by way of establishment of several mega projects is considered necessary. The State Government intends to promote and facilitate mega projects in a few critical sectors

which would have multiplier effect, provide impetus to the employment generation initiatives and inclusive development in the state. Large and Mega projects also promote ancillary and auxiliary industries in the SME sector.

II. Thus facilitating development of mega projects is being envisaged as key strategy to trigger large scale economic activity in related sectors. A special package of financial benefits /incentive to the Mega Projects may be considered on merit of each case.

In the eventuality of mega projects requiring support of ancillary units then for setting up such units will be facilitated as part of this package.

III. The facilitation for promotion of mega projects in the State would be largely applicable under the following framework:

Promotion of mega projects in focus sectors which may include auto and auto components, Maintenance Repairing Operation (MRO) hub for aircraft and such other projects as may be decided by the Government will be encouraged. It will also include the Projects in the core infrastructure sectors like Metro Rail Line, Logistic Parks, High Speed Trains and such other category of Projects as decided by the Government. In addition, it may also include innovative projects as may be decided by the Government. A set of criteria for definition of innovative projects would be developed.

7.3.8 Foreign Investment

The State Government will welcome foreign investment particularly in high-tech and high priority industries. The State Government will promote foreign investment and foreign technology tie-ups. In addition, foreign direct investments will be encouraged for infrastructure projects, especially for power generation, port development, construction of roads and bridges as well as social infrastructure such as education facilities, healthcare facilities and tourism projects. FDI investors would be treated at par with domestic investors.

7.3.9 Non-Resident Indians

A large number of expatriate Rajasthanis are settled in various countries across the world. These NRIs have, through their enterprise and hard work, established themselves in trade and industry in their adopted countries. They not only have investible resources but also have high level of skills and managerial capabilities, which can be utilised in setting up world class enterprises in this country. The State had pioneered the concept of promoting NRI investment through the Rajasthan Foundation. The NRI investors would be treated at par with domestic investors.

7.3.10 Handicrafts/Handloom/Khadi/Village/Cottage Industry

The handloom and handicraft sectors including craftsmen, artisans, cottage, khadi and village industries has tremendous potential to offer livelihood. This strategy would be to provide an overarching framework for guiding necessary action to promote the growth of handicrafts, handloom and cottage industries as a mechanism to reduce poverty, and create long lasting income generation.

7.3.10.1 Marketing Support

- i. Newly constructed building of Rajasthali at MI Road, Jaipur would be made into a handicrafts mall to facilitate selling of handicrafts of the state to the visiting tourists.
- ii. TA/DA will be provided to artisans/their associations, SPVs for attending the market-related programs like Crafts Bazaars, Expos, other Exhibitions, study tours, etc.
- iii. Urban and Rural haats will be set up in all major handicraft and handloom potential districts to facilitate their marketing.
- iv. Rajasthan Small Industries Corporation (RSIC) will also provide e-marketing platform for handicrafts of the state through a specially developed website. The website would inform the public and potential tourists, about Rajasthan handloom and handicrafts. Information on the site would include products, where to find them, who produces them, as well as the unique stories of the artisans and producers. It would also provide a facility for small artisans to register and display a small showcase of their merchandise in the form of a standard directory listing.
- v. Setting up of “Shilpangan” will be further promoted to provide avenues of direct marketing by artisans.

7.3.10.2 Skill Dissemination by Master Artisans in Major Traditional and Dying Crafts

For certain identified traditional and dying crafts, training will be imparted to incumbents and children of craftsmen through master craftsmen in those crafts. These trained district level artisans will further visit the clusters and disseminate their newly acquired skills to the local artisans. It will result in skill up-gradation of local artisans and revival of the crafts.

7.3.10.3 Self Employment Training

In order to provide employment to the traditional/non traditional artisans, non-farm labour, unemployed youth, etc., training in different types crafts. Since the objective would also be to generate self employment, training in basic business skills like costing, pricing, marketing, basic accounting, business management, research, etc. would be included.

7.3.10.4 Integration with Other State Departments

The State government would explore the possibility of establishing a partnership with other state departments like Social Welfare Department, Tourism Department, and Industries Department for the promotion of handicraft in the state. For example, State Tourism Development Corporation in the state would be actively engaged for the promotion and sales of Handicrafts.

7.3.10.5 Common Branding

Creation of a common brand for Rajasthan handicrafts is essential for the development of this sector. Rajasthan crafts would be themed under one specific brand that reflects the heritage and traditions of the State. A “**Made in Rajasthan**” stamp or logo would be designed that characterizes all the products made in Rajasthan.

7.3.10.6 Handicraft and Handloom Development Board

A Handicraft and Handloom Development Board would be established with NGOs, producers, artisans, associations and exporters as its members including senior officers of the Government. The Board would advise the Government on specific interventions to promote assist and develop the sector.

7.3.10.7 New Scheme for Handloom and Handicraft sector for promoting significant value addition would be launched.

7.3.10.8 The Khadi Sector is facing the crisis of declining number of quality weavers. A promotional package will be devised for ensuring medical benefits and development of community assets for this set of weavers. The spinners and weavers will be encouraged to adopt the Self-help Group Scheme of NABARD.

7.3.11 Exports

The main thrust would be in providing infrastructural facilities such as setting up of container depots near major industrial growth Centres, facilities for product testing and development, particularly for small scale units, encouragement of quality up-gradation by adoption of total quality management and ISO series certification, etc. Inland Container Depots and Air Cargo Complex managed by RSIC will be revamped to make them exporters friendly and business like.

7.3.11.1 Concessions

Export units, wherever necessary, will be given a 30% grant for ground rent for participation in the approved international trade fairs subject to a maximum limit of 9 sqm.

The Government will promote setting up a state-of-the-art external information centre in collaboration with local chamber of commerce and associations like the CII, FIEO, etc. and with the assistance of reputed National/International organizations for dissemination of information and assistance to export fraternity of the State.

7.3.11.2 Investors would also be encouraged to gain from The objective of the scheme is to involve the states in the export effort by providing assistances to the State Government for creating appropriate infrastructure for the development and growth of export.

7.3.12 Green Industries

7.3.12.1 Government Shall Encourage Promotion of Green Industry

For this purpose a Green or clean activity or service that performs at least one of the following shall be considered:

- a) **Generating and Storing Renewable Energy:** Includes alternative energy generated by, but not limited to Wind, Solar, Water, Biofuels, Biomass.
- b) **Recycling Existing Materials:** Companies involved in the collection and processing of recyclable materials and waste including those running a recycling or wastewater plant. Includes environmental clean-up (does not include companies that recycle paper,

glass, and cans in a bin).

- c) **Energy Efficient Product Manufacturing, Distribution, Construction, Installation, and Maintenance:** This includes companies involved in the research, development, and manufacturing of products such as solar panels, energy efficient light bulbs, and vehicles. It also includes construction companies that install and repair these products in new or existing residential or commercial real estate, as well as real estate planning and land development.
- d) **Education, Compliance, and Awareness:** This sector includes Training providers for curricula such as solar panel installation, energy auditing, sustainability management, and environmental careers. Environmental consulting, Trading and offsets.
- e) **Natural and Sustainable Product Manufacturing:** Includes companies that create products using natural materials. Also includes businesses that produce safe, nontoxic products; handicraft and handloom; products out of previously-recycled materials and waste.

7.3.12.1 Government would encourage reduction, reuse or recycle of waste. Units which use waste as raw material or create business out of recycling waste would be provided special incentives.

7.3.12.2 Increasing FAR for Clean Industries

To promote clean and employment intensive industries additional FAR would be provided in RIICO industrial areas for example electronic industry, garments, IT and IT enabled services.

7.3.13 Backward Areas

Several districts of the State are backward in terms of the domestic product originating from secondary and tertiary sectors. Cost of establishing industrial and services enterprises along with the cost of infrastructure development in such districts is relatively higher. Special incentives would be provided to promote investment and employment generation in such areas.

ANNEXURE
Schemes of New Industrial and Investment Promotion Policy 2010

S. No.	Chapter	Para Number	Scheme	Related Department
1.	Developing High Quality Infrastructure	3.3	Assistance to Critical Infrastructure Projects	Industries
2.	Developing High Quality Infrastructure	3.4.1	New Industrial Areas	Industries
3.	Developing High Quality Infrastructure	3.8.5	SPV for 24x7 Power supply to industrial clusters/parks	Energy/Industry
4.	Enhancing Skill Levels and Employability	4.1	State Scheme to Upgrade Industrial Training Centres into Centres of Excellence	Technical Education/ Labour & Employment
5.	Enhancing Skill Levels and Employability	4.2	Train to Gain Scheme	Industries
6.	Enhancing Skill Levels and Employability	4.4	Training for augmenting English	Higher Education
7.	Enhancing Skill Levels and Employability	4.8 - I	Assistance for Industrial Area Training Centres	Industries
8.	Enhancing Skill Levels and Employability	4.8- II (a)	Financial assistance for setting up Lead Institutes	Higher / Technical Education
9.	Enhancing Skill Levels and Employability	4.8-II (b)	Assistance for Short Term Bridge Courses	Higher / Technical Education
10.	Enhancing Skill Levels and Employability	4.8-III (a)	Assistance for Skill Training Institutes in Private Sector	Industries
11.	Enhancing Skill Levels and Employability	4.8-III(b)	Assistance for Rajiv Gandhi Skill Schools in PPP Mode	Industries / Labour and employment
12.	Enhancing Skill Levels and Employability	4.8-III (c)	Establishment of Technical Institutes	Technical Education
13.	Focus on MSMEs Growth	6.2.1 (a)	Financial Assistance for Cluster Development in SPV mode	Industries
14.	Promotion of Thrust Areas	7.3.1-II	District BPO SCHEME 2010	Industries/IT
15.	Promotion of Thrust Areas	7.3.2- II	“Padharo Sa’ Scheme	Tourism
16.	Promotion of Thrust Areas	7.3.6	Scheme to support training in Apparel sector	Small Scale Industries
17.	Promotion of Thrust Areas	7.3.10.2 7.3.10.3	Three New Schemes for Craft sector	Small Scale Industries
18.	Promotion of Thrust Areas	7.3.10.7	Rajasthan Handloom and Handicraft Development Finance Scheme	Small Scale Industries

www.investrajasthan.com

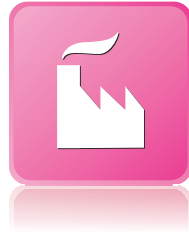


Bureau of Investment Promotion
(a Government of Rajasthan Organisation)

Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur 302 005, Rajasthan, India
Tel: +91 141 222 72 74, 222 78 12. Fax: +91 141 222 7506. E-mail: bip.raj@nic.in

राजस्थान उद्योग एवं निवेश संवर्धन नीति - 2010

Rajasthan Industrial and Investment Promotion Policy - 2010



सत्यमेव जयते

उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार

Department of Industries, Government of Rajasthan

राजस्थान उद्योग एवं निवेश संवर्धन नीति - 2010



सत्यमेव जयते

उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार

विषय सूची

भूमिका	1
अध्याय 1 दृष्टिकोण, उद्देश्य और नीति का क्रियान्वयन	6
1.1 दृष्टिकोण	
1.2 उद्देश्य	
1.3 व्यूह रचना	
1.4 क्रियान्वयन	
अध्याय 2 व्यावसायिक वातावरण में सुधार	8
2.2 एकल खिड़की प्रणाली का मजबूतीकरण	
2.2.1 मंत्रीमण्डल (Cabinet) द्वारा विशेष पैकेज	
2.2.2 राजस्थान एंटरप्राइजेज़ सिंगल पॉइंट एनेबलिंग एंड क्लीयरेंस एक्ट (RESPECT)	
2.2.3 सिंगल पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एण्ड क्लीयरेंस सिस्टम	
2.3 नियामक तंत्र का सरलीकरण व युक्तिकरण	
2.4 औद्योगिक सलाहकार समिति की स्थापना	
अध्याय 3 उच्च गुणवत्ता के आधारभूत ढांचे का विकास	10
3.1 आधारभूत ढांचा के सुधार हेतु मुख्य प्रयास	
3.2 आधारभूत ढांचागत विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहन	
3.2.1 आधारभूत ढांचा विकास विधेयक	
3.2.2 आधारभूत ढांचागत विकास बोर्ड	
3.2.3 वायबिलिटी गैप फन्डिंग	
3.3 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचागत आवश्यकताओं के लिए कोष	
3.4 औद्योगिक आधारभूत ढांचे में वृद्धि	
3.4.1 नए औद्योगिक क्षेत्र	
3.4.2 रीको द्वारा वर्तमान क्षेत्रों का उन्नयन	
3.4.3 रीको सामान्य आधारभूत ढांचा सेवाओं के प्रदाता के रूप में	
3.4.4 विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को प्रोत्साहन	
3.5 गैस ग्रिड का विकास	
3.6 निवेश परियोजनाओं के लिए जल उपलब्धता	
3.7 लॉजिस्टिक पार्कों का विकास	
3.8 प्रचुर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना	
3.9 दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारे का लाभ प्राप्त करना	
3.10 विशेष निवेश क्षेत्रों का विकास	
3.11 औद्योगिक टाउनशिप और नगरीय आधारभूत ढांचे का विकास	
3.12 प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना	
अध्याय 4 कौशल स्तरों और रोजगारयोग्यता का विकास करना	20
4.1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को 'सैन्टर्स ऑफ़ एक्सीलैन्स' में बदलना	

- 4.2 सेवारत प्रशिक्षण के लिए 'ट्रेन टू गेन' योजना
- 4.3 कौशल मापन एवं सर्वेक्षण
- 4.4 सेवा क्षेत्रों के लिए कौशल विकास
- 4.5 प्रशिक्षण सम्बंधी विद्यमान आधारभूत ढांचे का उपयोग किया जाना
- 4.6 उद्यमिता विकास
- 4.7 राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के लाभ
- 4.8 नई योजनाओं का क्रियान्वयन
 - I. औद्योगिक क्षेत्र/संकुल आधारित प्रशिक्षण केन्द्रों की योजना
 - II. वर्तमान संस्थानों में नये उद्योग सम्बंधित पाठ्यक्रमों के लिये योजना
 - III. नए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित करने के लिये प्रमुख संस्थान

अध्याय 5 भूमि की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करना 25

- 5.2 भूमि उपयोग परिवर्तन/भूमि का रूपांतरण/रूपरेखा योजना/भवन मानचित्र आदि के अनुमोदन की प्रक्रिया को आसान बनाना/योजनाओं आदि के अनुमोदन की प्रक्रियाओं का सरलीकरण
- 5.3 भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का सरलीकरण
- 5.4 भूमि बैंक सृजित किया जाना
- 5.5 निवेशों के लिए नए नीतिगत दिशानिर्देशों का निरूपण

अध्याय 6 एम.एस.एम.ई संवर्धन पर विशेष बल 28

- 6.2 संकुल विकास (क्लस्टर डवलपमेन्ट)
- 6.3 भारत सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना

अध्याय 7 विशिष्ट क्षेत्रों को प्रोत्साहन 30

- 7.3.1 ज्ञान क्षेत्र
- 7.3.2 पर्यटन
- 7.3.3 खनन एवं खनिज प्रसंस्करण
- 7.3.4 रत्न एवं आभूषण
- 7.3.5 कृषि कारोबार
- 7.3.6 कपड़ा तथा परिधान
- 7.3.7 बड़े निवेशों को आकृष्ट करना
- 7.3.8 विदेशी निवेश
- 7.3.9 प्रवासी भारतीय
- 7.3.10 हस्तशिल्प/हथकरघा/खादी/ग्राम/कुटीर उद्योग
- 7.3.11 निर्यात
- 7.3.12 प्रदूषण मुक्त उद्योगों हेतु एफ.ए.आर.में वृद्धि
- 7.3.13 पिछड़े क्षेत्र

परिशिष्ट नीति के अंतर्गत तैयार की जाने वाली योजनाओं की सूची 37

भूमिका

राजस्थान प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो कि भारत के उत्तरी और पश्चिमी विकास केन्द्रों के बीच स्थित है, इसमें दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारा (डी.एम.आई.सी.) का 40 प्रतिशत भाग पड़ने के कारण इसकी भौगोलिक स्थिति निःसंदेह ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण गन्तव्य स्थल होने के अतिरिक्त एक शांतिपूर्ण व राजनैतिक रूप से स्थिर राज्य होने के कारण अनेक क्षेत्रों में एक उल्लेखनीय लाभ एवं लाभपूर्ण निवेश के अवसर उपलब्ध कराता है।

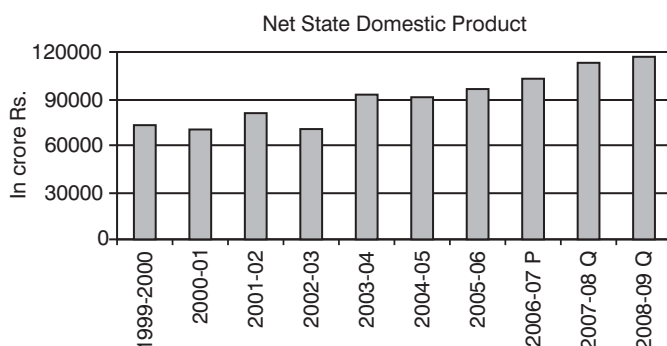
राजस्थान का व्यावसायिक वातावरण, उद्यम मित्रवत सरकार, समृद्ध खनिज एवं कृषि संसाधन, निरंतर उन्नत बनाए जा रहे उच्च श्रेणी के आधारभूत ढांचे, उद्यमिता की परंपरा तथा कुशल मानवशक्ति की उपलब्धता द्वारा पोषित है। चांदी, चूनापत्थर, फॉस्फोराइट, रॉक फॉस्फेट, तांबा अयस्क, जस्ता, जिप्सम, क्ले, ग्रेनाइट, संगमरमर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, कैल्साइट आदि राज्य में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज पदार्थ हैं। राज्य सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से भौतिक आधारभूत ढांचे और सामाजिक क्षेत्रों में निरंतर विकासात्मक उपाय किये हैं।

भारत के अधिकांश राज्यों की तरह, राजस्थान भी प्राथमिक तौर पर एक कृषि आधारित राज्य था जिसके कुल जीडीपी का 50 प्रतिशत भाग कृषि और सहयोगी क्षेत्रों से प्राप्त होता था। हाल के वर्षों में, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में भी तीव्र विकास हुआ है।

वर्ष 2007 से 2009 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी की औसत वृद्धि दर (स्थिर कीमतों पर) 7.5 प्रतिशत रही है। इसी अवधि में, निर्माण क्षेत्र औसतन 5.2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ा (आर्थिक सर्वेक्षण 2008-2009, भारत सरकार)। दूसरी ओर, संदर्भित अवधि में राज्य की समग्र जीडीपी 6.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ी जबकि निर्माण क्षेत्र 6.34 प्रतिशत, कृषि क्षेत्र 6.55 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र 7.54 प्रतिशत की दर से बढ़े।

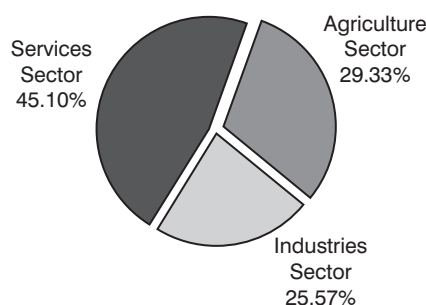
वर्ष 2007-2009 के दौरान भारत/राजस्थान की चक्रवर्ती वार्षिक विकास दर

	जीडीपी विकास (स्थिर कीमतों पर)	निर्माण क्षेत्र का विकास
राजस्थान	6.3%	6.3%
भारत	7.5%	5.2%



(स्रोत: योजना विभाग, राजस्थान)

Sectoral Distribution of NSDP 2007-08A



राजस्थान में औद्योगिक क्रियाकलापों और रोजगार सृजन में लघु उद्योग क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्यम और वृहद् श्रेणी के उद्योग भी राज्य में पर्याप्त मात्रा में स्थापित हैं। राजस्थान, देश में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अन्य क्षेत्र, जिनमें वृहद् एवं मध्यम श्रेणी के निवेश आकर्षित हो रहे हैं, उनमें ऑटोमोबाइल क्षेत्र सम्मिलित है। इस क्षेत्र में होंडा सिएल और अशोक लेलैंड प्रमुख कंपनियां हैं। मॉइको बॉश, फेडरल मुगल और जापानी अनुषांगिक इकाईयों का समूह, राज्य में अन्य प्रमुख ऑटो-पुर्जों के निर्माता हैं।

अनेक उत्पादों के लिए राजस्थान एक महत्वपूर्ण निर्माण आधार है, जिसमें रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प, सिन्थेटिक तथा सूती वस्त्र, धागा, ऊन, संगमरमर और ग्रेनाईट स्लैब्स, खाद्य तेल, रसायन, रबर तथा प्लास्टिक आधारित वस्तुएं, उर्वरक, विद्युत उपकरण और वैद्युतिक सामान, चीनी मिट्टी तथा कांच आदि सम्मिलित हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) और आईटी सक्षम सेवाएं (आई.टी.ई.एस.), तेल तथा गैस और ऊर्जा उत्पादन उभरते हुए क्षेत्र हैं।

आई.टी.ई.एस. उद्योग के लिए जयपुर पसंदीदा टियर-१। शहर बनता जा रहा है जहां जानी-मानी कंपनियां जैसे कि जेनपैक्ट और इनफोसिस के बीपीओ मौजूद हैं। समृद्ध विविधता, पर्यटन आकर्षणों की प्रचुरता और धरोहर, जैसे किले, महल, प्राचीन और वास्तुकला की दृष्टि से उत्कृष्ट हवेलियां, वन्य जीव अभ्यारण्य, मरुस्थल और हस्तशिल्प तथा लोक कलाओं की विस्तृत श्रृंखलाएं, ये सभी मिलकर राजस्थान को एक अत्यंत आकर्षक पर्यटन गन्तव्य बनाते हैं। सभी अग्रणी होटल श्रृंखलाओं की राज्य में विशिष्ट उपस्थिति ने राज्य में पर्यटन को निवेश के लिए एक अभीष्ट क्षेत्र बनाया है।

राजस्थान के विकास की रूपरेखा, इस दृढ़ विश्वास पर आधारित है कि मजबूत आधारभूत ढांचा, निवेश और आर्थिक संवृद्धि को प्रेरित करता है। परिवहन, संचार और औद्योगिक आधारभूत ढांचे में समुचित और दीर्घकालिक प्रयास के परिणामस्वरूप राज्य में भौतिक आधारभूत ढांचे की रीढ़ मजबूत हुई है।

राजस्थान ऊर्जा आधिक्य वाले राज्य के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। राज्य में इस क्षेत्र में बड़े निवेश क्रियान्वयन स्तर पर हैं। प्रबल सतही हवाएं और सूर्य के प्रकाश की प्रचुरता के कारण ऊर्जा उत्पादन की यहाँ भारी संभावनाएं हैं। बाड़मेर-जैसलमेर क्षेत्र में तेल और गैस की खोज, विकास गतिविधियों को वृहद् स्तर पर प्रोत्साहित करेगी। थार के मरुस्थल में लाखों टन तेल और प्राकृतिक गैस का खजाना संचित है और अब से कुछ ही वर्षों में राज्य के अब तक मरुस्थलीय जिले अप्रत्याशित सर्वांगीण विकास के साक्षी होंगे।

राजस्थान ऐसे कुछ चुनिंदा राज्यों में से है, जिन्होंने निजी क्षेत्र की भागीदारी से बी.ओ.टी. आधार पर अनेकों परियोजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया है। निजी निवेशक राज्य के राजमार्गों के उन्नतीकरण, पुलों के निर्माण, बायपास, रेल ओवर-ब्रिज और सड़क मार्ग के किनारे विभिन्न सुविधाओं के विकास कार्यों के रूप में सड़क विकास की परियोजनायें क्रियान्वित कर सकते हैं।

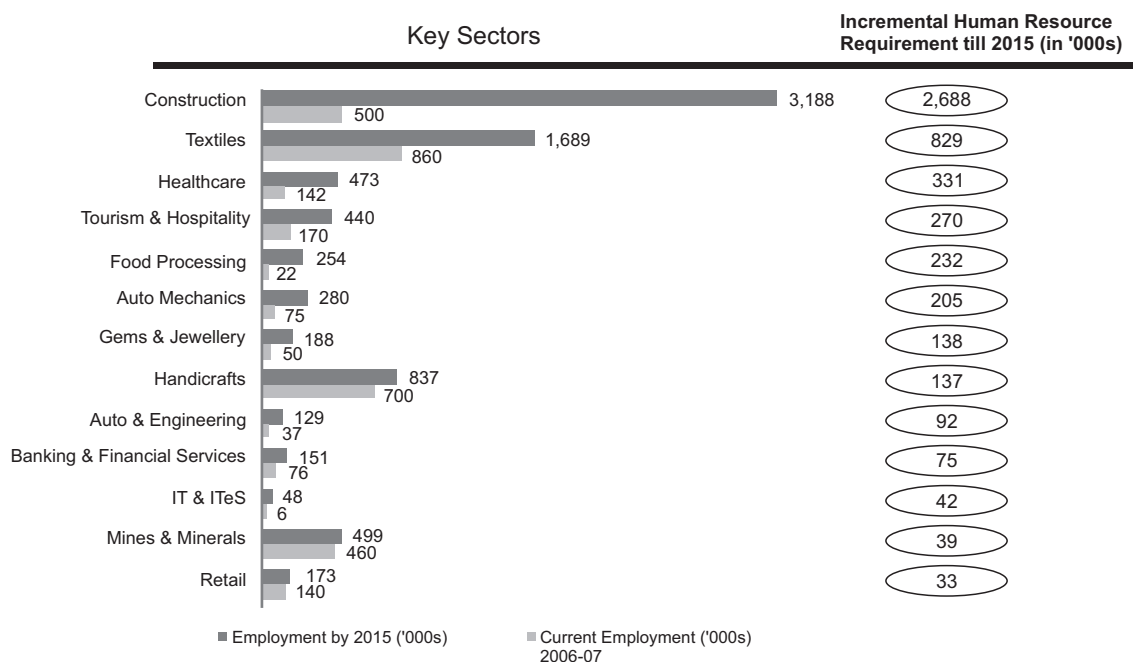
जयपुर में पूर्णतः कार्यशील अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जहां से दुबई, शारजाह के लिए उड़ान सेवाएं उपलब्ध हैं। जोधपुर और उदयपुर में घरेलू हवाई अड्डे स्थित हैं, जहां से प्रमुख मेट्रो और अन्य शहरों के लिए नियमित उड़ान सेवाएं हैं। जयपुर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है। जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो (आई.सी.डी.) भारत में व देश के बाहर व्यापार को सुगम बनाते हैं।

राज्य में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक मजबूत संस्थानिक नेटवर्क विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। यहां 20 विश्वविद्यालय, लगभग 100 इंजीनियरिंग कॉलेज, 94 प्रबंधन संस्थान और 1,042 महाविद्यालय हैं। इनके अतिरिक्त, यहां के पॉली-टेक्निक संस्थान, प्रति वर्ष 11,610 छात्रों को नामांकित करने में सक्षम हैं और 666 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, प्रति वर्ष लगभग 66,906 लोगों के विविध कौशल में वृद्धि करते

हैं। राजस्थान के लगभग प्रत्येक जिले में कम से कम एक इंजीनियरिंग कॉलेज है।

राज्य में कुछ प्रमुख संस्थानों में अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (ए.आई.आई.एम.एस.), राष्ट्रीय फैशन टेक्नॉलॉजी संस्थान (एन.आई.एफ.टी.) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) की स्थापना जोधपुर में की जा रही है। एक भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई.आई.एम.) भी राज्य में स्थापित किया जा रहा है। अन्य उल्लेखनीय संस्थानों यथा एल.एन.एम.आई.आई.टी., एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, मनीपाल विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर, एमिटी विश्वविद्यालय जयपुर, वनस्थली विद्यापीठ, एम.एन.आई.टी., भारतीय अस्पताल प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान आदि प्रमुख हैं। पिलानी में स्थित बिट्स, देश में सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर का इंजीनियरिंग कॉलेज है।

श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा कृत सर्वेक्षण के अनुसार, यह आकलन किया गया है कि राजस्थान में मानव संसाधन आवश्यकताओं में वर्ष 2015 तक 5 से 5.2 मिलियन व्यक्तियों की वृद्धि होगी। अधिकतम वृद्धिशील आवश्यकता विनिर्माण उद्योग में होगी, तत्पश्चात् वस्त्रोद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यटन और सत्कार, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो मैकेनिक्स, रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प, ऑटो एवं इंजीनियरिंग, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, आई. टी./आई. टी. ई. एस., खनन और खनिज तथा रीटेल क्षेत्र में भी पर्याप्त श्रम शक्ति की आवश्यकता होगी।



Total Incremental Demand 5 to 5.2 million

सामाजिक आधारभूत ढांचागत क्षेत्र के विकास में निजी क्षेत्र को बढ़ती हुई गति से समायोजित किया जा रहा है और उनके लिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों में अनेक निवेश विकल्प खुल रहे हैं।

विद्यमान निवेश संवर्धन व्यवस्था

निवेशकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान सरकार ने समय-समय पर निवेश संवर्धन

नीतियों की घोषणा की है। सरकार ने अनेक क्षेत्र विशिष्ट नीतियाँ भी लागू की हैं। क्षेत्र विशेष के लिए विशिष्ट नीतियाँ अधिकतर सेवा क्षेत्र से सम्बन्धित हैं।

राज्य में गत समग्र औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति की घोषणा 1998 में की गई थी। इसे राजस्थान निवेश संवर्धन योजना (आर.आई.पी.एस.) 2003 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक क्षेत्रों के लिए विशिष्ट नीतियों की घोषणाएं भी की गई हैं। यथा:

वर्तमान में चल रही निवेश संवर्धन नीतियां निम्न हैं:

- राजस्थान निवेश संवर्धन योजना (आर. आई. पी. एस.) 2003
- राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास सहायता योजना, 2008
- आई. टी. एवं आई. टी. ई. एस. नीति- 2007
- पर्यटन नीति, 2007
- गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन संवर्धन नीति, 2004
- राजस्थान राज्य में ऊर्जा उत्पादन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए नीति, 2005
- पिछड़े क्षेत्रों में तकनीकी संस्थान स्थापित करने की योजना
- राजस्थान सोशल सेक्टर वायाबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम (आर.एस.एस.वी.जी.एफ.)
- विद्यमान सरकारी आई.टी.आई. संस्थानों में निजी पक्षों द्वारा द्वितीय पारी में संचालित करने हेतु उद्योग संस्थान सहभागिता योजना
- इंजीनियरिंग कॉलेजों की सुविधा रहित जिलों में पी.पी.पी. आधार पर इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने की योजना
- राजस्थान विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति, 2003
- औद्योगिक और निवेश परियोजनाओं के क्रियान्वयन को गति देने के लिए एकल खिड़की निस्तारण प्रणाली मौजूद है। (अब कानूनी समर्थन प्राप्त एक समग्र एकल खिड़की प्रणाली, अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित की जा रही है)

नई नीति की आवश्यकता

देश की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में निर्माण क्षेत्र की 12 प्रतिशत वृद्धि के साथ 9 प्रतिशत की औसत समावेशी वृद्धि का लक्ष्य है। योजनाकाल के समापन तक निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर को बढ़ा कर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष करने को राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक प्राथमिकता के रूप में उल्लेखित किया गया है।

आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य

आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य	इकाई	सीएजीआर (2001-02 से 2004-05)		ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्य	
	%	भारत	राजस्थान	भारत	राजस्थान
कृषि	%	1.03	1.76	4.10	3.50
उद्योग	%	6.96	7.43	10.50	8.00
सेवा	%	8.64	7.08	9.90	8.90
कुल वृद्धि दर	%	6.45	5.68	9.00	7.40

सीएजीआर- चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर

(स्रोत : ग्यारहवीं योजना का दस्तावेज)

सरकार का प्रयास निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाते हुए दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि अर्जित करने के लिए और एक उत्प्रेरक वातावरण को सृजित करना है, ताकि निजी क्षेत्रों को उन्नति का अवसर मिले। राजस्थान के अनेक क्षेत्र स्वयं लाभयुक्त हैं जिन्हें राज्य की सहयोगपूर्ण नीतियों एवं समर्थन से अधिक बल मिला है। हालांकि आधारभूत ढांचा और कौशल की वृद्धि की गति विकास गति के अनुसार होना आवश्यक है। रोज़गार सृजन की दर को बढ़ाया जाना आवश्यक है ताकि रोज़गार प्राप्त करने के इच्छुक उसमें समाहित हो सके। प्रतिस्पर्धी बने रहने और स्थायी एवं समावेशी उच्च आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए नए उच्च ज्ञान आधारित जटिल वैश्विक प्रतिमानों ने नई चुनौतियां और अवसर पेश किए हैं।

अतः यह महत्वपूर्ण है कि ऐसी नीतियाँ प्रतिपादित की जायें, जो आगामी वर्षों में राजस्थान की संवृद्धि दर को बढ़ा सके, प्रतिस्पर्धी क्षमता मजबूत बना सके और निवेशकों में दीर्घकालीन विश्वास निर्मित कर सके।

वर्तमान औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति 2010 निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, जो एक निवेश स्थल के रूप में किसी स्थान की उपयुक्तता व आकर्षण को प्रभावित करते हैं, का समग्र रूप से समावेश करती है। यह नीति अनेक महत्वपूर्ण तत्वों जैसे भूमि, आधारभूत ढांचा, कौशल-समूह, नीति परिवेश, निवेशक अनुभवों—जो कि औद्योगिक और निवेश तंत्र की आधारशिला हैं, में गुणात्मक सुधार करने की ओर लक्षित है।

निजी क्षेत्र की वृद्धि के मार्ग की प्रमुख बाधाएँ, अवरोध और प्रतिबंध न्यूनतम हों ताकि कुशल सुविधादाता के रूप में राज्य सरकार अपनी भूमिका को नए सिरे से पारिभाषित करे। कुशल सुविधादाता के रूप में राज्य सरकार अपनी भूमिका को नये सिरे से परिभाषित करे, ताकि निजी क्षेत्र की वृद्धि के मार्ग की प्रमुख बाधाएँ, अवरोध और प्रतिबंध न्यूनतम हो।

1

नीति का दृष्टिकोण, उद्देश्य, व्यूहरचना एवं नीति का क्रियान्वयन

1.1 दृष्टिकोण

राजस्थान सरकार, निवेशों को प्रेरित करने, समावेशी आर्थिक संवृद्धि को त्वरता प्रदान करने और लोगों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार अवसर सृजित करने को कृत संकल्प है।

1.2 उद्देश्य

राजस्थान औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति 2010 के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं:

- 1.2.1. उत्पादन तथा सेवा क्षेत्र में वृहत्तर निजी निवेश के माध्यम से उच्चतर एवं दीर्घकालिक आर्थिक संवृद्धि प्राप्त करना;
- 1.2.2. पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करना;
- 1.2.3. एक सहयोगात्मक नीति एवं संस्थानिक वातावरण तथा आधारभूत ढांचा सृजित करना जो निजी क्षेत्र के निवेश एवं उद्यम को प्रोन्नत करें;
- 1.2.4. राजस्थान के प्राकृतिक या अतिलाभ के क्षेत्रों में तीव्र गति से विकास को प्रोत्साहित करना;
- 1.2.5. मानव संसाधन का विकास करना एवं ज्ञान आधारित विकास को प्रोत्साहन;
- 1.2.6. बढ़ती युवा जनसंख्या के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना।

1.3 व्यूहरचना

नीतिगत कार्यक्रमों का ध्येय उद्यम तथा क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धी क्षमता का विकास करने के साथ भारत के अन्य भागों और विदेशों से निवेश प्रवाह में पर्याप्त बढोत्तरी को प्रेरित करना है। मुख्य उपायों का ध्येय निम्न है:

1. व्यावसायिक वातावरण में सुधार।
2. उच्च गुणवत्ता वाले आधारभूत ढांचे का विकास।
3. कौशल स्तरों एवं रोजगारपरकता को बढ़ावा।
4. परियोजनाओं के लिए भूमि की आसान उपलब्धता सुनिश्चितता।
5. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमों (एम.एस.एम.ई.) को प्रोत्साहन।
6. चिन्हित थ्रस्ट सैक्टर्स का संवर्धन।

1.4 क्रियान्वयन

1.4.1 राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS -2010)

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना—2003 के अन्तर्गत उपलब्ध वित्तीय लाभ एवं अनुदान पैकेज तब तक लागू रहेगे जब तक सरकार द्वारा नई निवेश प्रोत्साहन नीति की घोषणा नहीं की जाती है।

1.4.2 इसी प्रकार, रूग्ण/बंद औद्योगिक इकाईयों हेतु पुनर्वास योजना भी बनाई जा रही है जो पृथक से घोषित की जाएगी।

1.4.3 नीति के प्रावधानों को समावेशित करने वाली विभिन्न योजनाएं अलग से जारी की जायेंगी। निवेश संवर्द्धन ब्यूरो सम्बन्धित विभागों के लिए उपलब्ध आदान/योजनाओं के प्रारूप अलग से प्रसारित करेगा। (परिशिष्ट का अवलोकन करें)

1.4.4 सम्बन्धित विभागों द्वारा आवश्यक प्रशासनिक आदेश, नोटिफिकेशन्स एवं योजनाएं शीघ्र जारी की जायेगी लेकिन ये सभी इस नीति के जारी होने के 6 माह के अन्तर्गत जारी किया जाना आवश्यक होगा।

1.4.5 योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जायेगी। इस समिति की बैठक कम-से-कम तीन माह में एक बार होगी।

1.4.6 इस नीति में समाहित विभिन्न प्रावधानों और योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए समुचित बजटीय प्रावधान भी किए जायेंगे।

2 व्यावसायिक वातावरण में सुधार

सरकार व्यावसायिक वातावरण को सुधारने, व्यवसाय में प्रवेश और परिचालन प्रक्रियाओं को स्पष्ट बनाने तथा विलम्ब व व्यापार लागतों को कम करने के लिए अपने वर्तमान प्रयासों को जारी रखेगी। व्यापार नियामक प्रक्रिया की सम्पूर्ण व्यवस्था के गठन के लिए तथा सहायक संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

2.1 व्यावसायिक वातावरण में सुधार के लिए प्रमुख कदम निम्न होंगे:

2.1.1 एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम) को मजबूत बनाना

अ. मंत्रीमण्डल (केबिनेट) द्वारा विशेष पैकेज

ब. राजस्थान एण्टरप्राइजेज सिंगल पॉइंट एनैबलिंग एण्ड क्लीयरेंस एक्ट (RESPECT)

स. सिंगल पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस एण्ड मॉनीटरिंग सिस्टम

2.1.2 नियामक व्यवस्था को सरल और युक्तिसंगत बनाना

2.1.3 "औद्योगिक सलाहकार समिति" की स्थापना

2.2 एकल खिड़की प्रणाली का मजबूतीकरण

राज्य सरकार राज्य में व्यवसाय के लिए एकल बिंदु सेवाओं की व्यवस्था हेतु वैधानिक तंत्र की व्यवस्था के लिए, स्पष्ट रूप से समय सीमा निर्धारित करते हुए इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए और निर्धारित समय सीमा में सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति न मिलने की स्थिति में अधिकार क्षेत्र एकल बिंदु स्वीकृति अधिकारी को स्थानांतरित किए जाने के लिए अधिनियम बनायेगी। एकल खिड़की अधिनियम और इलेक्ट्रॉनिक स्वीकृति प्रणाली, एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनायेगा तथा राज्य में निवेश क्रियान्वयन के लिए आवश्यक औसत समयावधि को कम करेगा।

2.2.1 मंत्रीमंडल (Cabinet) द्वारा विशेष पैकेज

वर्तमान योजनाओं के अतिरिक्त जब भी कोई विशेष छूट/पैकेज पर विचार करने की स्थिति हो तो, उक्त प्रकरण पर मंत्रीमण्डल द्वारा विचार किया जाएगा। सरकार के सभी विभागों पर उक्त निर्णय बाध्य होगा।

2.2.2 राजस्थान एण्टरप्राइजेज सिंगल पॉइंट एनैबलिंग एण्ड क्लीयरेंस एक्ट (RESPECT)

निर्धारित समय सीमा में सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति न मिलने की स्थिति में अधिकार क्षेत्र एकल बिंदु स्वीकृति अधिकारी को स्थानान्तरण के द्वारा राज्य में निवेश और व्यावसायिक प्रस्तावों को एकल बिन्दु सेवायें प्रदान करने के लिए राजस्थान एण्टरप्राइजेज सिंगल पॉइंट एनैबलिंग एण्ड क्लीयरेंस एक्ट के अधीन राज्य में राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समितियों (एस.ई.सी./डी.ई.सी.) का गठन किया जायेगा। एस.ई.सी./डी.ई.सी. द्वारा प्रदत्त ऐसी अनुमति उसी प्रकार प्रभावी होगी जैसी सक्षम

अधिकारी द्वारा दी जाती।

2.2.3 सिंगल पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एण्ड क्लीयरेंस सिस्टम

राज्य में निवेश के निर्णयों या निवेश के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले समस्त नियमों, कानूनों एवं आदेशों से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एकल बिंदु सेवा के अभिन्न अंग के रूप में सूचना प्रसारण पोर्टल स्थापित किया जाएगा।

विभिन्न स्वीकृतियों के लिए आवेदन पत्र जमा कराने, उनके समयबद्ध निस्तारण की निगरानी और शीघ्र स्वीकृति की सुविधा हेतु एक कम्प्यूटरीकृत और पारदर्शी प्रणाली स्थापित की जाएगी। इसमें आवेदक द्वारा आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देखने की भी सुविधा होगी।

2.3 नियामक तंत्र का सरलीकरण व युक्तिकरण

राज्य में प्रचलित नियामक तंत्र की समीक्षा और निवेश वातावरण को व्यवसाय के मित्रवत बनाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। विशेषज्ञों और व्यापारिक निकायों के परामर्श से जहां भी वांछित होगा, तदनुसार सरलीकरण एवं युक्तिसंगत बनाया जाएगा। कतिपय अपनाये जाने वाले उपाय निम्नानुसार हैं:-

2.3.1 व्यवसाय करने के लिए विभिन्न विभागों या एजेंसियों द्वारा वांछित वैधानिक प्रक्रियाओं की सूची राज्य सरकार द्वारा संकलित की जा रही है।

2.3.2 लाइसेंस, अनुमति, अनुमोदन आदि व तत्सम्बंधी प्रक्रियायें, जो निरर्थक या भारतुल्य हैं, को युक्तिसंगत बनाया जाएगा।

2.3.3 विनियामक उपायों को बिना किसी उत्पीड़न के लागू करने के लिए तंत्र विकसित किया जाएगा। स्वैच्छिक अनुपालना, स्व प्रमाणन, तृतीय-पक्ष निरीक्षण आदि जैसे उपाय, जहां उपयुक्त हो, प्रारम्भ किये जाएंगे।

2.3.4 कारखानों और श्रम कानूनों, खनन लाइसेंस व स्थानीय निकायों के लाइसेंस से सम्बन्धित प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी और प्राथमिकता के आधार पर उन्हें युक्तिसंगत बनाया जाएगा क्योंकि इनसे तत्काल और पर्याप्त राहत की अपेक्षा की जाती है।

2.3.5 मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमें सम्बन्धित विभागों के सचिव और व्यापार निकायों के प्रतिनिधि सदस्य होंगे, द्वारा विद्यमान तंत्र की सामयिक समीक्षा की जाएगी।

2.4 औद्योगिक सलाहकार समिति की स्थापना

निजी एवं सार्वजनिक सम्पर्क को स्थापित व मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में 'औद्योगिक सलाहकार समिति' की स्थापना की जा चुकी है। समिति में विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव, उद्योगों, वित्त, पर्यटन, शहरी विकास को सम्मिलित करते हुए और मुख्य व्यापारिक निकायों व औद्योगिक संघों जैसे कि भारतीय उद्योग कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इन्डस्ट्री, राजस्थान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्री परिसंघ, राजस्थान वाणिज्य और उद्योग मण्डल, पी. एच. डी. सी. सी. आई. और फेडरेशन ऑफ इण्डियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के सचिव सदस्य भी सम्मिलित होंगे। निवेश को बढ़ावा देना और राज्य के आर्थिक विकास के साथ-साथ नीति निर्माण, रोजगार सृजन, मानव संसाधन विकास, कौशल संवृद्धि आदि के लिए सुझाव देना और मौजूदा योजनाओं में परिवर्तन तथा नये प्रयासों के लिए भी सुझाव देना, समिति के प्रमुख कार्य होंगे।

3 उच्च गुणवत्ता के आधारभूत ढांचे का विकास

भौतिक और सामाजिक आधारभूत ढांचे की गुणवत्ता, सुलभता और सामर्थ्यता विकास के मुख्य निर्धारक हैं। वे आवश्यक परिवेश परिस्थितियों को निर्मित करने के लिए एक अच्छी नीति और संस्थानिक ढांचे के पूरक हैं जो निवेश को आकर्षित करने, व्यवसाय और उद्योग की संवृद्धि को बनाये रखने और रोजगार अवसरों के सृजन हेतु पूर्वपेक्षाएं हैं।

इसीलिए सड़कों का अच्छा नेटवर्क, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, पर्याप्त जल, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर कनेक्टिविटी, प्रभावी लॉजिस्टिक सुविधाएं आदि प्रदान करते हुए राजस्थान में उद्यमों की प्रतिस्पर्धी गुणवत्ता बढ़ाना प्रस्तावित है।

3.1

आधारभूत ढांचे के सुधार हेतु मुख्य प्रयास निम्न होंगे:

- आधारभूत ढांचे के विकास हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहन
- महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचागत आवश्यकताओं के लिए कोष का सृजन
- औद्योगिक आधारभूत ढांचे में वृद्धि
- गैस ग्रिड का विकास
- निवेश परियोजनाओं के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- लॉजिस्टिक्स पार्कों का विकास
- ऊर्जा आपूर्ति की भरपूर उपलब्धता
- दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर (डी.एम.आइ.सी.) के लाभ प्राप्त करना
- विशिष्ट निवेश क्षेत्रों का विकास
- औद्योगिक टाउनशिप और नगरीय आधारभूत ढांचे का विकास
- प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण सुरक्षा प्रणालियां सुनिश्चित करना

3.2

आधारभूत ढांचागत विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहन

राज्य आर्थिक विकास के लिए आधारभूत ढांचे में वृहद निवेशों का दृष्टिकोण रखता है। राज्य की सभी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वांछित वित्त की आवश्यकता को केवल सरकार के बजटीय संसाधनों द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। निजी निवेश को आकर्षित करने और इसकी प्रभावक्षमता को बढ़ावा देने, उचित लागत पर गुणवत्तापूर्ण आधारभूत ढांचा और सेवाएं प्रदान करने हेतु एक प्रेरक नीति एवं संस्थानिक व्यवस्था का विकास किया जायेगा। ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण और वितरण परियोजनाएं, सड़क पुल और बाईपास, जल आपूर्ति, शोधन और वितरण, हवाई अड्डे और हेलीपोर्ट, अंतर्देशीय कंटेनर

डिपो और लॉजिस्टिक्स हब, सूचना प्रौद्योगिकी, भूमि विकास, औद्योगिक/नॉलेज पार्क और टाउनशिप, नगरीय उपयोगी सेवाएं, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, व्यापारिक मेला स्थल, कनवेंशन सेन्टर, और नगरीय यातायात प्रणालियां आदि कुछ ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पी.पी.पी. की अपेक्षा की जा सकती है।

3.2.1

आधारभूत ढांचा विकास विधेयक

निजी सहभागिता के लिए कानूनी रूपरेखा और योजना के निरूपण हेतु एक आधारभूत ढांचागत विकास विधेयक बनाया जाएगा। आधारभूत क्षेत्रों में निजी निवेशों के लिए विधेयक न्यायसंगत, पारदर्शी और स्पष्ट रूप से व्यक्त प्रक्रिया का निरूपण करेगा। यह त्वरित निर्णयों को भी सुगम बनाएगा और ऐसी परियोजनाओं के विकासकर्ताओं और वित्तपोषकों के लिए जोखिमों को कम करने का प्रयास करेगा।

यह विधेयक अन्य बातों के साथ निम्न व्यवस्थाएं करेगा:

- राज्य में आधारभूत परियोजनाओं के वित्त पोषण, निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव में निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए पर्याप्त नियामक और प्रशासनिक ढांचा।
- प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक विलम्ब को कम करने, निर्णय लेने और परियोजना से जुड़े सामान्य जोखिमों को चिन्हित करने के लिए यह एक व्यापक विधेयक होगा।
- विभिन्न प्रलाभनों, परियोजना आपूर्ति प्रक्रिया और जब कभी उठने वाले विवादों के समाधान हेतु प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन।
- निजी क्षेत्र के लिए वित्तपोषणयोग्य सम्बन्धी अनुषांगिक एवं तत्आधारित बातों हेतु परियोजनाएं पेश करना और राज्य में आधारभूत ढांचे के स्तर में सुधार।

3.2.2

आधारभूत ढांचागत विकास बोर्ड

राज्य में आधारभूत क्षेत्र में निवेश के उच्चतर प्रवाह को सुगम बनाने और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए एक वैधानिक शक्तिप्राप्त बोर्ड गठित किया जाएगा। मुख्य मंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति होगी जिसमें वरिष्ठ मंत्री और सचिव सदस्य होंगे। पी.पी.पी. आधार पर निजी सहभागिता वाली आधारभूत सुविधाओं की विकास परियोजनाओं के शीघ्र अनुमोदन के लिए यह एक एकल बिन्दु व्यवस्था होगी। निवेश संवर्धन ब्यूरो (बी.आई.पी.) बोर्ड के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा और इस बोर्ड द्वारा विचारणीय परियोजनाओं का परीक्षण एवं समन्वय स्थापित करेगा। बी.आई.पी. के संसाधनों में समुचित वृद्धि की जायेगी जिसमें पेशेवर मानव संसाधन एजेंसियों से सेवाएं किराये पर प्राप्त करना भी सम्मिलित होगा। इस उद्देश्य के लिए बी.आई.पी. के कार्यों में निम्न सम्मिलित होंगे:

- आधारभूत ढाँचागत परियोजनाओं की परिकल्पना करना
- परियोजना के लिए स्वीकृतनीय/अस्वीकृतनीय मानदण्डों सहित समीक्षात्मक दिशा-निर्देश विकसित करना
- तकनीकी, वाणिज्यिक और वित्तीय व्यवहार्यता अध्ययन करते हुए तकनीकी, वित्तीय, जोखिम प्रबंधन और समग्र नीतिगत पहलुओं के आधार पर पीपीपी परियोजना प्रस्तावों की समीक्षा करना
- टर्म्स ऑफ रेफरेन्स, प्री क्वालिफिकेशन व बिड इवेल्युएशन क्राइटेरिया, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल व कनसेशन अग्रीमेन्ट्स तैयार करना
- क्षेत्रीय एजेंसियों और विभागों के साथ समन्वय
- नीलामी प्रक्रिया का प्रबंधन और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निजी सहभागी का चयन
- रियायत समझौते का प्रारूप तैयार करना
- सरकारी एजेंसियों और उनके कर्मचारियों के मध्य क्षमता का सृजन

- i) बाहरी विषय विशेषज्ञ एजेन्सियों की मदद लेना
- j) सरकार की ओर से 'वायबिलिटी गैप फन्डिंग' प्रस्तावों को लागू करना
- k) राज्य में पी.पी.पी. परियोजनाओं के लिए उपयुक्त ढांचा लागू करते हुए एक योजना निगरानी तंत्र तैयार करना और उसकी देखरेख करते रहना।
- l) प्रत्येक परियोजना की वित्तीय और भौतिक निगरानी सुनिश्चित करना, विसामान्यताओं की पड़ताल करना और सुधार के लिए कार्यवाही के मुख्य क्षेत्र चिन्हित करना।

3.2.3

वायबिलिटी गैप फन्डिंग

भारत सरकार पी.पी.पी. परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत की 20 प्रतिशत सीमा तक व्यावहारिकता अंतराल समर्थन (वायबिलिटी गैप फन्डिंग) प्रदान करती है। राज्य सरकार भी परियोजना लागत के 20 प्रतिशत तक, जहां आवश्यक और महत्वपूर्ण हो, अतिरिक्त व्यावहारिकता वित्तपोषण प्रदान करेगी। राज्य सरकार इस हेतु आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

3.3

महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचागत आवश्यकताओं के लिए कोष

राज्य सरकार क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड स्थापित करेगी। महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचा कोष ऐसी परियोजनाओं के लिए धन प्रदान करेगा जिन्हें राज्य के लिए औद्योगिक क्षेत्रों/विशिष्ट पार्कों/क्षेत्रों/इकाइयों के समूह या राज्य के लिए विशेष महत्व की बड़ी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचागत सुविधाओं के सुधार के लिए तैयार की गई हो। इस हेतु कोष आवश्यकतानुसार प्रारम्भिक तौर पर राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। राज्य कोष हेतु आवश्यक वित्तीय सहायता बजट के माध्यम से प्रदान करेगा। कोष के संचालन की विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे।

3.4

औद्योगिक आधारभूत ढांचे में वृद्धि

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड (रीको) ने अब तक लगभग 59,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करके 321 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया है। यह निरन्तर और भूमि का अधिग्रहण और विकास कर रहा है। प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा, स्ट्रीटलाइट, जल आपूर्ति, सम्पर्क सड़क और मूलभूत सामाजिक आधारभूत ढांचे की व्यवस्था भी की गई है। रीको ने कृषि प्रसंस्करण, वस्त्रोद्योग, सूचना तकनीक आदि जैसे विशेष प्रकार के उद्योगों के लिए उत्कृष्ट आधारभूत ढांचागत सुविधायुक्त एवं विशिष्ट उद्देश्ययुक्त औद्योगिक पार्कों की स्थापना की शुरुआत की है। रीको ने 3 विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज़) का विकास भी किया है जिनमें से दो रत्न एवं आभूषणों के लिए जयपुर में हैं और एक हस्तशिल्प के लिए जोधपुर में स्थित है। औद्योगिक आधारभूत ढांचे को और मजबूत बनाने हेतु निम्न कार्यक्रम प्रस्तावित हैं:

- a) नये औद्योगिक क्षेत्रों का विकास
- b) रीको द्वारा विद्यमान क्षेत्रों का उन्नयन
- c) रीको द्वारा साझा आधारभूत ढांचागत सेवाएं प्रदान करना

3.4.1

नए औद्योगिक क्षेत्र

A. रीको

- i. रीको अगले पांच वर्षों में औद्योगिक उद्देश्यों के लिए 20,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि विकसित करेगा।
- ii. रीको, नए औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने के साथ निम्न प्रयास भी करेगा:
 - a) एम.एस.एम.ई. सेक्टर के लिए कम से कम 30 प्रतिशत भूमि का आरक्षण
 - b) वृहद् परियोजनाओं के लिए वेन्डर और सहायक इकाइयों के विकास के लिये भूमि उपलब्ध

कराना

- c) सामाजिक आधारभूत ढांचे, यथा आवासीय क्षेत्र, स्कूल, अस्पताल आदि के लिए भूखण्ड उपलब्ध कराना
- d) क्षेत्र में समुचित आधारभूत सुविधाओं के विकास पश्चात् ही भूमि आवंटन

B. निजी औद्योगिक पार्कों का विकास

- i. राज्य सरकार औद्योगिक पार्कों/सम्पदा की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करेगी।
- ii. राज्य सरकार, ऐसे पार्कों की स्थापना को सुगम बनाने के लिए रीको क्षेत्रों पर प्रभावी नियमों के अनुरूप ही सड़क, जल आपूर्ति और विद्युत प्रसारण लाइनों (ऐसे क्षेत्रों तक) की सुविधा उपलब्ध कराएगी।
- iii. ऐसे निजी औद्योगिक पार्कों के प्रवर्तक, उक्त लाभों की सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने प्रस्तावों को बी.आई.पी. के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।
- iv. औद्योगिक पार्कों के व्यवस्थित और सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए ले-आउट व नक्शों को रीको की सहमति से या इस उद्देश्य हेतु निर्धारित नियमों के अनुरूप अंतिम रूप दिया जायेगा।
- v. विशिष्ट सेक्टरों वाले औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए रीको अविकसित भूमि भी उपलब्ध कराएगा।

C. विशिष्ट औद्योगिक पार्क

प्रत्येक सेक्टर की आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट उत्पाद वाले पार्क/संकुल विकसित किए जाएंगे। निम्न नए उत्पाद आधारित विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों और निवेश केन्द्रों की स्थापना की जायेगी:

- i. डी.एम.आई.सी. क्षेत्र में कांच और सिरेमिक कॉम्प्लेक्स
- ii. डी.एम.आई.सी. क्षेत्र में ऑटोमोटिव-जोन
- iii. लेदर कॉम्प्लेक्स/पार्क
- iv. शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, आमोद-प्रमोद, अनुसंधान तथा सूचना तकनीकी सेक्टरों की आवश्यकतापूर्ति के लिए नॉलेज सिटी
- v. शैक्षणिक संस्थानों के समूह

3.4.2

रीको द्वारा वर्तमान क्षेत्रों का उन्नयन

- i. रीको आगामी पांच वर्षों के अन्तराल में अपने विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों में ढांचागत सुधार के लिए विशेष प्रयास करेगा। इस हेतु किए जाने वाले कार्यों में सेवा सम्बंधी आधारभूत ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं का उन्नयन शामिल होंगे। सड़क पुनर्लेपन, वर्षाजल संचयन प्रणालियों का सुधार, सर्विस ट्रेडिंग और सेवा नेटवर्कों में सुधार, पेविंग, लैंडस्केपिंग और साइनेज आदि कार्य प्रमुख होंगे।
- ii. रीको हर वर्ष उत्कृष्ट उन्नयन हेतु कम-से-कम 5 फ्लैगशिप या प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों का कार्य हाथ में लेगा। आवश्यक होने पर राज्य सरकार द्वारा रीको के औद्योगिक क्षेत्रों की उन्नयन लागत का 25 प्रतिशत अनुदानित किया जा सकेगा।

3.4.3

रीको सामान्य आधारभूत ढांचा सेवाओं के प्रदाता के रूप में

औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को उन्नत बनाने के लिए, रीको अपने सेवा क्षेत्र को स्वयं या पी.पी.पी. आधार पर चयनित संख्या वाले बड़े औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अपशिष्ट शोधन संयंत्रों, विद्युत, जल और

गुणवत्तायुक्त सम्पर्क सड़कों को सम्मिलित करते हुए अपनी सेवाओं को विस्तारित करेगा।

3.4.4

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को प्रोत्साहन

- i. राज्य में पहले से ही सेज संवर्धन नीति लागू है। इस नीति के प्रावधान, राज्य में सेज को प्रोत्साहित करने हेतु एक अनुकूल परिवेश प्रदान करने और राज्य की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने को लक्षित हैं। सरकारी क्षेत्र में तीन सेज और संयुक्त क्षेत्र में एक मेगा सेज—महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी के अतिरिक्त, 8 अनुमोदित सेज हैं जिनमें से 7 अधिसूचित हो चुके हैं।
- ii. एक नया सेज विधेयक बनाया जा रहा है जिसके अंतर्गत राज्य में विकसित किए जाने वाले सेज को अनेक छूटों का प्रावधान किया जा रहा है जिसमें विलासिता कर, बिजली शुल्क, लीज और रजिस्ट्री शुल्क में छूट सम्मिलित हैं। नया विधेयक सेज के विकासकर्ता और सह-विकासकर्ता को समान दर्जा प्रदान करेगा और भूमि की किस्म परिवर्तन शुल्क के रूप में केवल एक सांकेतिक धनराशि ही देय होगी।

3.5

गैस ग्रिड का विकास

वर्तमान और प्रस्तावित प्रमुख गैस पाइपलाइनों राजस्थान से गुजरती हैं। राज्य में कुछ परियोजनाएं, जैसे उर्वरक उत्पादक इकाइयां प्राकृतिक गैस का कच्चे माल के रूप में उपयोग करती हैं। धौलपुर, मथानिया और रामगढ़ में गैस आधारित ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित हो रहे हैं। भिवाडी—नीमराना क्षेत्र में उद्योगों को गैस आपूर्ति करने के लिए गैस—पाइपलाइन बिछाई जा रही है। हालांकि राज्य के अपने विकास के लिए प्राकृतिक गैस का सस्ते, प्रचुर और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य में समुचित गैस ग्रिड को विकसित किया जाना अभी बाकी है। राज्य के औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की मांग पूरी करने के लिए राजस्थान में गैस ग्रिड के विकास हेतु पाइपलाइन नेटवर्क एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

खान एवं पेट्रोलियम विभाग के माध्यम से इंडियन स्कूल ऑफ पेट्रोलियम द्वारा राजस्थान में एक गैस ग्रिड स्थापित करने के लिए फीजेबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई है। इस ऊर्जा संसाधन का लाभ प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता में राज्य—व्यापी गैस ग्रिड के विकास हेतु बड़ी पहल की जायेगी।

तेल शोधन, पाइपलाइन परिवहन, गैस की खुदरा बिक्री, सिटी गैस वितरण, तेल की खोज और ऑयल फील्ड में सहयोग सेवाओं जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम की भूमिका विस्तृत की जाएगी। निगम को मजबूत बनाने के लिए आर.एस.एम.एम.एल. रु. 25 करोड़ का निवेश करेगा।

3.6

निवेश परियोजनाओं के लिए जल उपलब्धता

आधारभूत ढांचे के अन्य संघटकों के अतिरिक्त, एक स्वस्थ निवेश वातावरण के लिए जल अनिवार्य है।

3.6.1

नए बांधों और सिंचाई परियोजनाओं को अभिकल्पित और प्रतिपादित करते समय, 10 प्रतिशत जल को औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के उपयोग के लिए आरक्षित रखा जाएगा।

3.6.2

राज्य में जल की कमी है। अतः उद्योगों को जल का उपयोग कम करने, पुनर्उपयोग करने और पुनर्चक्रित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए, राजस्थान सरकार और भारत सरकार की विद्यमान योजनाओं के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।

3.6.3.

विश्वसनीय और निरंतर स्रोतों से जल आपूर्ति करने की उपयुक्तता की सम्भावनाओं की जाँच की जाएगी। प्रमुख औद्योगिक और निवेश क्षेत्रों को जल उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त परियोजनाएं,

प्रमुखतया पीपीपी आधार पर लागू की जाएंगी।

3.7 लॉजिस्टिक पार्कों का विकास

3.7.1 सरकार, लॉजिस्टिक्स को एक सामरिक महत्त्व के क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान करती है। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के क्रियाकलापों में अंतर्देशीय भार परिवहन, भंडारण, सामग्री प्रबंधन, सुरक्षात्मक पैकेजिंग, इन्वेन्ट्री नियंत्रण, ऑर्डर प्रोसेसिंग और मार्केटिंग, पूर्वानुमान और ग्राहक सेवाएं शामिल हैं।

3.7.2 रेलवे सेक्टर में पूर्वी और पश्चिमी चतुर्भुजों को जोड़ने वाले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डी.एफ.सी.) का निर्माण और भारतीय रेल नेटवर्क के चतुर्भुजों और विकर्णों की अन्य शाखाओं के लिए डी.एफ.सी. का भावी विकास, उन्नत अंतरण, क्रमिक भंडार की सुनिश्चित उपलब्धता, सेवा की विश्वसनीयता और सबसे महत्त्वपूर्ण रूप से परिवहन की इकाई लागतों में कमी के संदर्भों में राज्य को भार परिवहन के नए युग में ले जाएगा।

3.7.3 वर्तमान में, राजस्थान में कनकपुरा (जयपुर), जोधपुर और कोटा में तीन कॉनकोर रेल हेड आई.सी.डी. हैं। राज्य में विस्तृत रूप से पनपते नए कारोबारी अवसरों को दृष्टिगत रखते हुए, उदयपुर के निकट खेमली में एक अन्य आई.सी.डी. स्थापित किया जा रहा है जहां पत्थर निर्यात कारोबार की प्रचुरता के कारण कारोबारी अवसर काफी अच्छे हैं।

3.7.4 डी.एम.आई.सी. में कम से कम तीन क्षेत्रों, नीमराना-भिवाड़ी, भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़ और जयपुर क्षेत्र में मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाएंगे। राज्य में पीपीपी आधार पर और निजी क्षेत्र में लॉजिस्टिक पार्कों के विकास के लिए सरकार सहयोग प्रदान करेगी।

3.8 प्रचुर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना

3.8.1 राजस्थान में वर्तमान संस्थापित क्षमता (1.12.2009 तक) 7716 मेगावॉट की है। वित्तीय वर्ष 2013-14 तक लगभग 10,000 मेगावॉट की अतिरिक्त क्षमता विस्तार की योजना है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों की वर्तमान संस्थापित क्षमता 883 मेगावॉट है जिसमें पवन ऊर्जा का 852 मेगावॉट भाग शामिल है। राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप राज्य का क्षमता विस्तार कार्यक्रम है।

3.8.2 राजस्थान सरकार द्वारा इस क्षेत्र में कुछ समय पहले ही महत्वपूर्ण सुधार (फीडर रिनोवेशन कार्यक्रम) किए गए हैं। पूर्व में की गई प्रगति की भविष्य में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए पूर्वसचेत निगरानी और समुचित परियोजना प्रबंधन अनिवार्य हैं।

3.8.3 भावी लक्ष्यों की प्राप्ति करने और राज्य की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए राजस्थान सरकार पारंपरिक और गैर-पारंपरिक स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन करने के क्षेत्र में निजी सहभागिता को प्रेरित करेगी। ऊर्जा क्षेत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख कदम निम्न हैं:

3.8.4. हरित ऊर्जा प्रेरण

a) विशेष रूप से सौर ऊर्जा के साथ अपनी भारी संभावनाओं के कारण राजस्थान अक्षय ऊर्जा से जुड़े ग्रिड का प्रमुख शक्तिकेन्द्र बन सकता है। 11 जनवरी, 2010 को 'राष्ट्रीय सौर अभियान' (नेशनल सोलर मिशन-एन.एस.एम.) आरंभ किया गया है। जीवाश्म-ईंधन आधारित ऊर्जा विकल्पों के साथ सौर ऊर्जा को स्पर्धी बनाने के मुख्य उद्देश्य के साथ, ऊर्जा उत्पादन और अन्य उद्देश्यों के लिए सौर ऊर्जा के विकास और उपयोग को प्रोत्साहित करना एन.एस.एम. का लक्ष्य है।

b) राजस्थान में सौर ऊर्जा की भारी संभावनाएं हैं। राज्य में बंजर भूमि के विस्तृत क्षेत्र उपलब्ध हैं। यदि

समुचित प्रोत्साहन/छूटें प्रदान की जाएं तो राज्य इस क्षेत्र में अग्रणी हो सकता है।

- c) अक्षय/गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। राज्य सरकार ने एक समग्र, गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2004 को लागू किया हुआ है जो वर्तमान में प्रभावी है।
- d) गैर-पारंपरिक स्रोतों से विद्युत उत्पादन प्रोत्साहन हेतु वर्तमान नीति निवेशकों/ऊर्जा उत्पादकों को अनेक प्रेरक प्रदान करती है। ऐसी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए विभिन्न अन्य प्रेरकों के अतिरिक्त भूमि रियायती दरों पर (डी.एल.सी. दरों का 10 प्रतिशत) उपलब्ध कराई जाती है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को सरकार प्रशासित योजनाओं के अंतर्गत पात्र उद्योगों के रूप में मान्यता दी जाती है।
- e) बायोमास, पवन और सौर स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन के लिए राज्य सरकार अलग-अलग नीतियां निर्गमित करने की प्रक्रिया में है। हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश परियोजनाओं में क्रियान्वित करने को निवेश संवर्धन ब्यूरो, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड से समन्वय के साथ सुगम बनाएगा।

3.8.5. औद्योगिक संकुलों/पार्कों को 24x7 विद्युत आपूर्ति के लिए एस.पी.वी.

- a) भारतीय विद्युत अधिनियम के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्रों या औद्योगिक उपयोक्ता समूहों को कैप्टिव विद्युत वितरण के लिए एक एस.पी.वी. स्थापित किया जा सकता है।
- b) निरंतर और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एस.पी.वी. आधार पर ऐसी कैप्टिव विद्युत वितरण कंपनियों की स्थापना हेतु राज्य सरकार प्रोत्साहित करेगी। किसी क्षेत्र विशेष की औद्योगिक इकाइयां, विद्युत उपलब्ध कराने के लिए एसपीवी से दीर्घकालिक समझौता कर सकेंगी। उत्पादन संयंत्र के लिए आवश्यक स्थान औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध कराया जाएगा। अपेक्षित अनुमोदनों की प्राप्ति हेतु एस.पी.वी. संबंधित प्राधिकरणों से समन्वय हेतु उत्तरदायी होगी।

3.9 दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारे का लाभ प्राप्त करना

3.9.1

अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक संवृद्धि प्राप्त करने और औद्योगिक क्षेत्रों से देश के प्रमुख भागों तक माल के आवागमन की समस्याओं से निबटने के एक प्रमुख प्रयास के अंग के रूप में स्वर्णिम चतुर्भुज और दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने वाले इसके विकर्णों के साथ 'डेडिकेटेड मल्टी-मोडल हाई एक्सल लोड फ्रेट कॉरिडोर' विकसित करने की भारत सरकार की योजना है।

3.9.2

दिल्ली-मुम्बई फ्रेट कॉरिडोर (वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रूप में संदर्भित) के अतिरिक्त एक 'दिल्ली मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर' (डी.एम.आइ.सी.) भी स्थापित किया जा रहा है। डीएफसी के दोनों ओर 150 किमी. के विस्तार तक मजबूत आर्थिक आधार निर्मित करना, और स्थानीय वाणिज्य को प्रोत्साहित करने, विदेशी निवेशों को बढ़ाने और दीर्घकालिक विकास प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट आधारभूत ढांचे के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धी परिवेश उपलब्ध कराना डी.एम.आइ.सी. के उद्देश्य हैं। प्रमुख क्षेत्रों के अतिरिक्त, डी.एम.आइ.सी. में दूरस्थ क्षेत्रों/बाजारों और पश्चिमी तट के चयनित पत्तनों से अपेक्षित फीडर रेल/सड़क सम्पर्क का विकास किया जाना भी शामिल है।

3.9.3

दिल्ली मुम्बई फ्रेट कॉरिडोर के संदर्भ में राजस्थान राज्य सामरिक रूप से अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थिति में है। इस कॉरिडोर की कुल लम्बाई का लगभग 39 प्रतिशत भाग राजस्थान से गुजरता है और कुल डी.एम.आइ.सी. प्रोजेक्ट इन्फ्लुएंस एरिया (पी.आइ.ए.) का 46 प्रतिशत भाग राजस्थान में पड़ता है। डी.एम.आइ.सी. के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रमुख जिलों में अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर,

जोधपुर, झुंझुनूं, कोटा, नागौर, पाली, सीकर और सिरोंही हैं।

3.9.4

डी.एम.आइ.सी., राज्य के लिए विकास के वृहद् अवसर प्रदान करता है। डी.एम.आइ.सी. के साथ समुचित आधारभूत ढांचे का विकास, प्रदेश में औद्योगिक विकास और संवृद्धि प्रेरित करने की कुंजी है।

3.9.5

राजस्थान में डी.एम.आइ.सी. के साथ चिन्हित कुछ शुरुआती परियोजनाएं निम्न हैं:

i. शाहजहांपुर—नीमराना—बहरोड (एस.एन.बी.) नॉलेज सिटी

राज्य सरकार का एक नॉलेज सिटी विकसित करने का प्रस्ताव है जो विभिन्न प्राविधिक और व्यावसायिक ट्रेड में शिक्षा प्रदान करने वाले अकादमिक संस्थानों/शाखा परिसरों से युक्त एक सुसंगठित शिक्षा आधारित नगर होगा।

ii. ग्लोबल सिटी को अजरका होते हुए भिवाडी—टपुकड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से जोड़ने के लिए सेन्ट्रल स्पाइन

प्रस्तावित ग्लोबल सिटी और भिवाडी—टपुकड़ा कॉम्प्लेक्स के बीच राजस्थान की सीमा में पड़ने वाला क्षेत्र, भावी औद्योगिक व गैर-औद्योगिक विकास के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थिति में है। इसे दृष्टिगत रखते हुए, ग्लोबल सिटी को भिवाडी—टपुकड़ा कॉम्प्लेक्स से जोड़ने वाली एक केन्द्रीय स्पाइन परियोजना पर विचार किया गया है।

iii. ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा परियोजना

डी.एम.आइ.सी. क्षेत्र में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसमें एक हवाई अड्डा, बिजनेस पार्क, लॉजिस्टिक्स पार्क, औद्योगिक पार्क, कार्गो वेयरहाउसिंग पार्क, वितरण केन्द्र, सूचना तकनीकी कॉम्प्लेक्स, होलसेल मर्चेंडाईज़ मार्ट्स, पर्यटन और शैक्षणिक पार्क, आवासीय और अन्य आधारभूत ढांचागत सुविधाएं हवाई अड्डे में तथा बाहर स्थित होंगी।

3.10

विशेष निवेश क्षेत्रों का विकास

3.10.1

राज्य में औद्योगिक विकास, संकुलों का विकास करने, विशिष्टीकृत पार्क, औद्योगिक क्षेत्र और औद्योगिक सम्पदा विकसित करने की वर्तमान विधियों से आगे बढ़कर, विकास के अगले चरण में एक नए मॉडल के रूप में विशेष निवेश क्षेत्रों (एस.आइ.आर.) के विकास की ओर अग्रसर होगा। इन निवेश क्षेत्रों में बड़े निवेश किया जाना, बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं और विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचा व्यवस्थाएं विकसित किया जाना अपेक्षित है। क्षेत्र का बड़ा भाग, 100 वर्ग किमी. या अधिक को वैश्विक तथा घरेलू निवेशों को आकृष्ट करने के लिए उनके अपने औद्योगिक, सामाजिक और नगरीय आधारभूत ढांचे के वैश्विक मानकों के अनुरूप विकास हेतु अलग रखा जाएगा। इन एस.आइ.आर. को आगामी डी.एम.आइ.सी. और डीएफसी परियोजनाओं के साथ अनुषांगिक रूप में विकसित किया जाना अपेक्षित है।

3.10.2

ऐसे बड़े पैमाने के औद्योगिक क्षेत्रों का विकास सक्षम बनाने के लिए, एक एस.आइ.आर. अधिनियम बनाया जाएगा। अधिनियम के उद्देश्य निम्न होंगे:

- सरकार को राज्य में विशेष निवेश क्षेत्रों को विकसित करने, परिचालित करने और विनियमित करने में सक्षम बनाना।
- भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया त्वरित करने के लिए राज्य सरकार को निवेश क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने और उनको अधिसूचना के माध्यम से विशेष निवेश क्षेत्र (एस.आइ.आर.) का दर्जा प्रदान करने हेतु सशक्त किया जाएगा।
- अधिनियम, सरकार को प्रत्येक एस.आइ.आर. के लिए क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों की स्थापना हेतु भी समर्थ बनाएगा।

- iv. क्षेत्रीय प्राधिकरण, निजी भूस्वामियों से परस्पर बातचीत के माध्यम से भूमि अधिग्रहण में सहायता करेंगे। इन्हें एस.आइ.आर. में होने वाले क्रियाकलापों हेतु सरकारी भूमि को अंतरित करने का अधिकार होगा और यह एस.आइ.आर. में टाउनशिप के विकासकर्ता को भूमि को कृषि उद्देश्यों वाली भूमि से गैर-कृषि भूमि में परिवर्तित करने का अधिकार प्रदान करेगा।

3.10.3 दस लाख लोगों को औद्योगिक और गैर-औद्योगिक निवेशों के लिए विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचे के साथ नियोजित करने के लिए पहले एस.आइ.आर. की स्थापना शाहजहांपुर-नीमराना-बहरोड (एस.एन.बी.) क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा।

3.10.4 राष्ट्रीय उत्पादन तथा निवेश क्षेत्र (नेशनल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट जोन)

निवेशों को आकृष्ट करने और गुणवत्तापूर्ण आधारभूत ढांचा तथा सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से डी.एम.आइ.सी. क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्पादन तथा निवेश क्षेत्र की स्थापना की जाएगी।

3.11 औद्योगिक टाउनशिप और नगरीय आधारभूत ढांचे का विकास

3.11.1 औद्योगिक विकास और नगरीय विकास, एक दूसरे के पूरक हैं।

3.11.2. एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र/टाउनशिप

औद्योगिक रूप से विकसित केन्द्रों के आसपास अनियोजित विस्तार को रोकने के लिए, सरकार आवासीय और अन्य नगरीय सुविधाओं के साथ एकीकृत औद्योगिक क्षेत्रों/टाउनशिप स्थापित किए जाने को प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए निजी क्षेत्र को प्रेरित किया जाएगा।

बड़े आकार के एकीकृत औद्योगिक क्षेत्रों/टाउनशिप का 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत क्षेत्र आवासीय और अन्य संबंधित सामाजिक आधारभूत ढांचे सम्बंधी क्रियाकलापों हेतु चिन्हित किया जाएगा। आधारभूत ढांचा, जैसे जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइटिंग और अन्य नागरिक सेवाएं, एकीकृत औद्योगिक क्षेत्रों/टाउनशिप के विकास हेतु उत्तरदायी सक्षम एजेंसी द्वारा सुनिश्चित की जाएंगी।

3.11.3 नियोजित नगरीय विकास और नगरीय क्षेत्रों में निवेश के लिए नगर एवं देहात नियोजन अधिनियम प्रतिपादित किए जाने की प्रक्रिया में है और शीघ्र ही इसे लागू किया जाएगा।

3.11.4 व्यापार और कारोबार के सहज और त्वरित क्रियान्वयन के लिए प्रमुख नगरीय केन्द्रों में तथा आसपास व्यापार और वित्त केन्द्र, कारपोरेट मुख्यालय, प्रदर्शनी केन्द्र, सम्मेलन केन्द्र और अन्य सुविधाओं को विकसित किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

3.11.5 जयपुर को वर्ल्डक्लास ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इस उद्देश्य से जयपुर में निम्न परियोजनायें प्रमुखतया पीपीपी आधार पर स्थापित की जायेंगी:

- a) विश्वस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला परिसर
- b) विश्वस्तरीय सम्मेलन केन्द्र
- c) अंतर्राष्ट्रीय रत्न सर्वाफा (जैम बूर्स)
- d) शैक्षणिक टाउनशिप

3.12 प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना

3.12.1 औद्योगिक विकास से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता का है। पर्यावरण अनुकूल, कम प्रदूषणकारी और पानी की कम खपत वाले उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य उपयुक्त नीतिगत उपाय अपनाएगा।

- 3.12.2** उद्योग विभाग, पर्यावरण विभाग तथा राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (आर.पी.सी.बी) के साथ गहन समन्वय स्थापित करते हुए पर्यावरणीय प्रभावों को घटाने के लिए जागरूकता निर्माण, शिक्षण कार्य सम्पादित करेगा।
- 3.12.3** पर्यावरण सुरक्षा की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना हटाए जा सकने योग्य पुनर्नवीकरणीय भागों को कम करने के लिए उद्योग विभाग स्वयं और आर.पी.सी.बी. के साथ मिलकर उद्योगों की वर्तमान हरित, लाल और नारंगी सूचियों की पुनर्समीक्षा करेगा तथा उन्हें न्यायोचित बनाएगा।
- 3.12.4** अगले 20 वर्षों के दृष्टिकोण के साथ हरित औद्योगिक पार्कों/एस्टेट्स को विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। इनकी योजना और निष्पादन के लिए हरित 'पर्यावरणीय मानक' मार्गदर्शक होंगे।
- 3.12.5** अपने सभी विद्यमान तथा नए औद्योगिक क्षेत्रों में रीको जल संचयन और पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करेगा।
- 3.12.6** इलेक्ट्रॉनिक कचरे के पुनर्चक्रण और ई-कचरा पुनर्चक्रण इकाइयों की स्थापना को राज्य प्रोत्साहित और प्रेरित करेगा। अपशिष्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या ई-कचरा, में अधिक, निष्प्रयोज्य या टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल उपकरण शामिल हैं।
- 3.12.7** सूचना तकनीक (आई.टी.) और आई.टी. सक्षम सेवाओं की इकाइयों को सामान्यतया वायु एवं जल संबंधी प्रमाणपत्रों की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसके लिए उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करेगा।
- 3.12.8** पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को प्रोत्साहित करने के लिए, सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्रों की स्थापना और औद्योगिक क्षेत्रों या व्यक्तिगत रूप से इकाइयों द्वारा अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनर्उपयोग के लिए राज्य अपना सहयोग जारी रखेगा जैसा एम.एस.एम.ई. नीति में उल्लिखित है।

4 कौशल स्तरों और रोज़गारयोग्यता का विकास करना

अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की निर्भरता इसके लोगों के ज्ञान और कौशलों पर बढ़ती जा रही है जो संवृद्धि में सक्षम बनाने वाला प्रमुख कारक है। इस प्रकार, राजस्थान के लोगों के लिए कौशल विकास और रोज़गारयोग्यता में सुधार करना, राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

नीति का उद्देश्य, उद्योग और बाजार आधारित विशिष्ट कुशलताओं का निर्माण और इसी प्रकार राज्य की कार्मिक शक्ति की रोज़गारयोग्यता बढ़ाना है। इसे प्रमुख रूप से उद्योगों तथा भागीदारों की संलग्नता और सहभागिता द्वारा किया जाएगा।

राज्य में न केवल प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जाएंगे बल्कि वर्तमान आई. टी. आई., पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग और डिग्री कॉलेजों को ऐसी प्रशिक्षण क्षमताओं से सुसज्जित किया जाएगा जिससे कार्मिकशक्ति की उत्पादकता और रोज़गारयोग्यता बढ़ाई जा सके। रोज़गार के नए अवसरों के लिए न केवल अच्छे कार्यात्मक कौशलों, क्षेत्र सम्बंधी सभी स्तरों हेतु प्रतिस्पर्धी क्षमता की आवश्यकता होगी बल्कि अनेक 'सॉफ्ट' कौशलों की भी जरूरत होगी। विभिन्न क्षेत्रों, जैसे ऑटो तथा इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, वस्त्रोद्योग, खनन और खनिज, तेल तथा गैस, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन एवं सत्कार, हथकरघा तथा हस्तशिल्प, विनिर्माण और आई. टी./आई. टी. ई. एस. के लिए तैयार प्रतिभाओं का 'टैलेंट पूल' निर्मित किए जाने की योजना है।

प्रमुख कार्यक्रम निम्न हैं:

4.1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को 'सेन्टर्स ऑफ़ एक्सीलैन्स' में बदलना

- I. चूंकि वर्तमान में आई. टी. आई. संस्थान, उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार नहीं कर पा रहे हैं, अतः विविध कुशलतायुक्त जनशक्ति तैयार करने हेतु प्रशिक्षण में सुधार के लिए, भारत सरकार द्वारा पी. पी. पी. आधार पर एक योजना (स्कीम टू अपग्रेड इन्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेन्टर्स इन्टू सेन्टर ऑफ़ एक्सीलैन्स) लागू की गई है ताकि तुलनात्मक रोज़गारयोग्यता अधिक बढ़ सके।
- II. भारत सरकार की योजना की तर्ज पर राजस्थान सरकार एक नई योजना के आधार पर उद्योग जगत को ऐसे और आई. टी. आई. अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। संस्थान प्रबंधन समिति को सशक्त बनाया जाएगा और राज्य योजना में ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे।

4.2 सेवारत प्रशिक्षण के लिए 'ट्रेन टू गेन' योजना

- I. हमारी जनशक्ति की रोज़गारपरकता बढ़ाने और नियोजकों को उनके कार्य के लिए उपयुक्त

मानवशक्ति प्राप्त करने में मदद के लिए सरकार ऐसी कंपनियों का सहयोग करेगी, जो अकुशल व्यक्तियों को कुशल मानवशक्ति में बदलने के लिए अपने परिसर में सेवारत प्रशिक्षण उपलब्ध कराएंगी। इसके लिए 'ट्रेन टू गेन' नामक एक नई योजना लागू की जाएगी।

- II. ऐसे प्रशिक्षुओं के लिए उनके वेतन या मानदेय का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में नियोजकों को उपलब्ध कराया जाएगा जो प्रति प्रशिक्षु/प्रति माह रु. 2000 तक सीमित होगा। इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले नियोजकों द्वारा 50 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को रोजगार उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा।

4.3

कौशल मापन एवं सर्वेक्षण

- I. एक प्राधिकृत एजेंसी, निर्माण क्षेत्र समेत सेवाओं, स्वरोजगार और उद्यमिता पर विशेष ध्यान देते हुए भारतीय बाजार के विभिन्न क्षेत्रों/व्यवसायों में कौशल/रोजगार के लिए उभरते अवसरों पर वर्तमान अनुसंधानों को आगे बढ़ाएगी।
- II. राजस्थान में अनौपचारिक क्षेत्र का रोजगार हेतु महत्वपूर्ण योगदान है; राज्य में अनौपचारिक क्षेत्र में अनुमानित 1.84 मिलियन उद्यम हैं जो 2.9 मिलियन से अधिक कामगारों के लिए रोजगार सृजित करते हैं। साथ ही, वर्तमान में अनौपचारिक क्षेत्र के 70 प्रतिशत से अधिक उद्यम निर्माण, व्यापार और मरम्मत गतिविधियों में शामिल हैं। (स्रोत— श्रम विभाग, राजस्थान सरकार की वेबसाइट)
इन कामगारों को चिन्हित करने और इनके कौशल स्तरों के मापन के लिए अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों का अलग से एक सर्वेक्षण कराया जाएगा। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर एक कार्यक्रम पैकेज तैयार किया जाएगा।

4.4

सेवा क्षेत्रों के लिए कौशल विकास

आई. टी., आई. टी. ई. एस. तथा अन्य सेवा क्षेत्रों, जैसे सत्कार आदि से संबंधित कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अति कुशल, अंग्रेजी भाषी मानवशक्ति एक प्रमुख पूर्वापेक्षा है। इसके लिए, अंग्रेजी बोलने और लिखने की बुनियादी क्षमताओं में वृद्धि हेतु राज्य में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम को संस्थाकृत करने और इसकी व्यापकता को बढ़ाने के लिए राज्य निम्नलिखित कदम उठाएगा:

- I. विश्व के अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर कार्यक्रम के लिए प्रमाणन का विकास।
- II. ऐसे पाठ्यक्रमों का व्यापक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पूरे राज्य में कॉलेजों और निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं के गहन नेटवर्क द्वारा डिप्लोमा कार्यक्रम चलाया जाएगा।
- III. अंग्रेजी बोलने और लिखने के उच्च मानक सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और पॉलीटेक्निक संस्थानों में विद्यमान अंग्रेजी पाठ्यक्रम को फिर से डिजाइन किया जाएगा।
- IV. पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए प्रशिक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने हेतु शिक्षक प्रशिक्षण के समग्र पाठ्यक्रम का विकास किया जाएगा।

4.5

प्रशिक्षण सम्बंधी विद्यमान आधारभूत ढांचे का उपयोग किया जाना

सरकार शैक्षणिक संस्थानों तथा आई. टी. आई. स्कूलों व कॉलेजों में वर्तमान कक्षा सुविधाओं की एक सूची तैयार कराएगी जिन्हे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उपयोग किया जा सकता हो। निजी प्रशिक्षण प्रदाता, अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने के लिए इन परिसरों का उपयोग कर सकेंगे।

4.6

उद्यमिता विकास

ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार राज्य के सभी जिलों में

ग्रामीण विकास एवं स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर.यू.डी.एस.ई.टी.आई.) स्थापित करने के लिए सहयोग प्रदान करती रहेगी। आगामी पांच वर्षों में राज्य के प्रत्येक जिले में एक ग्रामीण विकास एवं स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना राजस्थान सरकार का लक्ष्य है। इन संस्थानों का प्रबंधन मुख्य रूप से निजी सहयोग द्वारा किया जाएगा।

4.7

राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के लाभ

भारत सरकार के राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम का उद्देश्य सभी व्यक्तियों को उन्नत कौशल, ज्ञान तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त योग्यता प्रदान करते हुए सशक्त बनाना है ताकि वे श्रेष्ठ रोजगार प्राप्त करते हुए वैश्विक परिदृश्य में भारत की प्रतिस्पर्धी क्षमता सुनिश्चित कर सकें। भारत सरकार की वर्तमान योजनाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे और इनको राज्य सरकार के कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा। श्रम और रोजगार विभाग इसका समन्वयन करेगा और इसकी प्रगति की निरंतर निगरानी करेगा।

4.8

नई योजनाओं का क्रियान्वयन

उद्योगों और बाजार की मांग के अनुरूप, कौशल विकास को सक्षम बनाने के लिए सरकार और उद्योगों के बीच सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।

I. औद्योगिक क्षेत्रों/संकुल आधारित प्रशिक्षण केन्द्रों की योजना

औद्योगिक क्षेत्रों या संकुलों के निकट प्रशिक्षण सम्बंधी आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों/औद्योगिक संकुलों और सेज़ में निर्माण तथा सेवा क्षेत्र की इकाईयों के लिए कुशल मानवशक्ति प्रोत्साहित करने हेतु एक नई योजना आरंभ की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपए की सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

II. वर्तमान संस्थानों में नए उद्योग सम्बंधित पाठ्यक्रमों के लिए योजना

रोजगार क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार वर्तमान प्रशिक्षण तथा शैक्षणिक संस्थानों को अपनी रोजगारयोग्यता में सुधार के लिए पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। उद्योग जगत की भागीदारी के साथ आवश्यक आधारभूत ढांचे और संकाय वाले चयनित शैक्षणिक संस्थानों में निम्न उपाय अपनाते हुए विशिष्टीकृत पाठ्यक्रम लागू किए जाएंगे:

a. नए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए प्रमुख संस्थान

- i) अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान पाठ्यक्रमों के मानकीकरण के लिए और पर्यटन, कृषि परिरक्षण, विनिर्माण, आई. टी./आई. टी. ई. एस., ऑटो तथा इंजीनियरिंग और वस्त्रोद्योग जैसे विशिष्ट महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम व्यवहृत करने के लिए प्रमुख संस्थान, जो राजस्थान में कोई विश्वविद्यालय या प्रतिष्ठित तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान या संचालित संस्था हो सकते हैं, को नए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने के लिए, चयनित किया जाएगा।
- ii) वर्तमान आईटीआई/पॉलीटेक्निक/इंजीनियरिंग कॉलेज/डिग्री कॉलेज नए पाठ्यक्रमों को संचालित करेंगे।
- iii) ऐसे संस्थानों को, पूंजी तथा परिचालन व्यय प्रतिपूर्ति सहित, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

b. औद्योगिक साझेदारों द्वारा लघु अवधि के ब्रिज पाठ्यक्रम

- i) कोई भी औद्योगिक घराने/औद्योगिक संघ/संस्थान एक निर्धारित अवधि के लिए वर्तमान

आई.टी.आई./पॉलीटेक्निक/इंजीनियरिंग कॉलेजों/डिग्री कॉलेजों में अपनी आवश्यकतानुसार विशिष्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित कर सकेंगे।

- ii) औद्योगिक साझेदार, आयोजक संस्थान को पाठ्यक्रम के सुगम संचालन के लिए तथा आयोजक संस्थान में अपेक्षित क्षमताएं विकसित करने के लिए, प्रशिक्षण सामग्री, उपकरण और तकनीकी सहायता, मार्गदर्शन देने और संस्थान के संकाय को प्रशिक्षित करने के लिए उत्तरदायी होगा। मशीनरी और उपकरणों की लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रु. 100 लाख की सीमा तक सरकार द्वारा अनुदानित किया जाएगा।

III. नई प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित करने की योजना

निजी क्षेत्र को नए प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए प्रेरित करने हेतु निम्न नई योजनाएं लागू की जानी प्रस्तावित हैं:

a. निजी क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की योजना

- i. प्रतिष्ठित संस्थानों, संस्थाओं, औद्योगिक संघों द्वारा निजी क्षेत्र में ऐसे कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना में सहायता के लिए राज्य सरकार एक योजना आरंभ करेगी जो प्रमुखतया रोजगार अवसरों पर आधारित व्यावसायिक तथा तकनीकी कौशल वृद्धि कर सकें।
- ii. योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र द्वारा प्रवर्तित किसी संस्थान को भूमि लागतों के अतिरिक्त अचल पूंजी निवेशों को सम्मिलित करने के लिए परियोजना लागत की 75 प्रतिशत तक की सहायता प्रदान की जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 2 करोड़ रुपए है।

b. राजीव गांधी कौशल स्कूल

- i. युवाओं, विशेषकर निर्धन और स्कूल छोड़ देने वालों को व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और उन्हें संगठित क्षेत्र के लिए रोजगार योग्य बनाने के लिए तकनीकी रूप से समुन्नत राजीव गांधी कौशल स्कूलों (आर. जी. एस. एस.) की स्थापना हेतु राजस्थान सरकार शिक्षा एवं प्रशिक्षण क्षेत्र में अग्रणी संस्थाओं का सहयोग करेगी। ये स्कूल, लक्षित युवाओं को विशिष्ट क्षेत्रों में उच्च गुणवत्तापूर्ण, बाजार हेतु उपयोगी, रोजगार संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करेंगे और इनमें प्रत्येक वर्ष कम से कम 1000 छात्रों को प्रशिक्षित करने की क्षमता के साथ संस्थानिक भवन, कक्षा, उपकरण कक्ष, प्रयोगशालाएं, कार्यशालाएं, छात्रावास और जलपानगृह आदि सुविधाएं होंगी।
- ii. इन स्कूलों को राज्य सरकार, प्रशिक्षण संस्था और एक औद्योगिक साझेदार के मध्य त्रिपक्षीय व्यवस्था के आधार पर स्थापित किया जाएगा।
- iii. प्रशिक्षक, पाठ्यक्रम सामग्री और विषयवस्तु को विकसित करेगा तथा आवश्यक आधारभूत ढांचे को संकाय के साथ व्यवस्थित करेगा और केन्द्र तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को जोड़ते हुए संसाधन प्राप्त करने हेतु भी उत्तरदायी होगा।
- iv. स्कूल स्थापित होने के बाद, सम्पूर्ण परिचालन और स्कूल के रखरखाव के लिए प्रशिक्षक उत्तरदायी होगा।
- v. आरंभिक आधारभूत ढांचे और पूंजी का प्रबंध सरकारी सहायता से किया जाएगा।
- vi. आरंभिक पूंजी तथा परिचालन लागतों को साझा करने के लिए सरकार, सामान्य रूप से औद्योगिक संघ या औद्योगिक घराने की मदद लेगी। सामान्यतः इन स्कूलों से उत्तीर्ण होकर निकलने वाले छात्रों को औद्योगिक साझेदार या संघ के सदस्यों द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

vii. आर.जी.एस.एस. की स्थापना के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जाएगी।

c. तकनीकी संस्थानों की स्थापना

तकनीकी संस्थानों, जैसे इंजीनियरिंग, एम.बी.ए., एम.सी.ए., बी.फार्मा आदि की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि बिना किसी परिवर्तन शुल्कों के परिवर्तित की जाएगी। जहां 50 करोड़ रुपए या अधिक का निवेश ऐसे संस्थानों की स्थापना में किया जाएगा, वहां प्रवर्तक को भूमि उद्योगों के उपयोग हेतु आरक्षित कीमतों के 50 प्रतिशत उपलब्ध कराई जाएगी।

5 भूमि की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करना

निवेश परियोजनाओं के लिए वाजिब कीमत पर भूमि की त्वरित और आसान उपलब्धता, अधिकांश निवेशकों की प्राथमिकता है। भारत में, अनुत्पादक और कम उर्वर भूमि वाला सबसे बड़ा राज्य होने के नाते, राज्य में निवेश को आकर्षित करने और सुगम बनाने के लिए, भूमि का लाभ संसाधन की तरह उठाया जा सकता है।

5.1 भूमि की उपलब्धता आसान बनाने के लिए निम्न उपाय किए जायेंगे:

- भूमि उपयोग परिवर्तन/भूमि का रूपांतरण/रूपरेखा योजना/भवन मानचित्र आदि के अनुमोदन की प्रक्रियाओं को आसान बनाना
- भूअधिग्रहण प्रक्रिया का सरलीकरण
- भूमि बैंक का सृजन
- निवेशों के लिए भूमि से लाभ प्राप्त करने के लिए नए नीतिगत दिशानिर्देशों का निरूपण

5.2 भूमि उपयोग परिवर्तन/भूमि का रूपांतरण/रूपरेखा योजना/भवन मानचित्र आदि के अनुमोदन की प्रक्रियाओं को आसान बनाना

5.2.1 जहां कहीं कस्बों और शहरों के मास्टर प्लान में भूमि का विशेष उपयोग निर्दिष्ट हो, ऐसी भूमि को ऐसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए, भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति के बिना उपयोग किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई क्षेत्र औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए चिह्नित है, तो ऐसे क्षेत्रों को भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति के बिना ऐसे औद्योगिक या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

5.2.2 राजस्थान भूमि राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए रूपांतरण) अधिनियम, 2007 के वर्तमान प्रावधान के तहत व्यवस्था है कि सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन को आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर निस्तारित कर दिया जाना चाहिए।

5.2.3 कुछ विभागों या एजेंसियों, जैसे कि वन, पर्यावरण, नगर नियोजन, पंचायत आदि से संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित एन.ओ.सी. (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के अभाव में रूपांतरणों में प्रायः विलम्ब होता है। रूपांतरणों को त्वरित करने के लिए, अब से विभागों और एजेंसियों को उत्तर देने हेतु अधिकतम 15 दिवस

का समय उपलब्ध होगा। यदि 15 दिवस के अंदर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है, यह मान लिया जायेगा कि उक्त विभाग या एजेंसी को ऐसे रूपांतरण पर कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे विभाग या एजेंसी से किसी औपचारिक अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा किए बिना सक्षम प्राधिकारी को नियमानुसार रूपांतरण हेतु आवेदन को निस्तारित कर देगा। अपूर्ण आवेदन की स्थिति में सभी कारणों का विवरण दर्शाते हुए नियमों के प्रावधानों के अनुसार संबंधित प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आवेदक को सूचित करेगा।

5.3 भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का सरलीकरण

5.3.1 भूमि के न्यायोचित और पारदर्शी अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए एक सुस्पष्ट नीति तैयार की जायेगी, जो किसानों के हितों की रक्षा करने के साथ बुनियादी ढांचे और अन्य निवेश परियोजनाओं के लिए भूमि की त्वरित उपलब्धता को सुगम बनाएगी। रु. 100 करोड़ या इससे अधिक प्रस्तावित निवेश वाली परियोजनाओं के लिए, यदि विकासकर्ता द्वारा स्वयं 25 प्रतिशत भूमि क्रय कर ली जाती है, तो शेष 75 फीसदी भूमि के अधिग्रहण में सरकार सहयोग कर सकती है।

5.3.2. भूस्वामियों को सही मुआवजा दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए और मुआवजा राशि को लेकर विवाद और मुकदमेबाजी से यथासंभव दूर रहने के लिए, एक समिति का गठन किया जा सकता है जिसमें राजस्व, वित्त और उद्योग विभागों के प्रतिनिधि शामिल हों, जो भूमि अधिग्रहण अधिकारी को निष्पक्षतापूर्वक मुआवजा के अवार्ड निर्धारित करने में मदद के लिए, अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का मूल्यांकन करें और सही बाजार कीमत के बारे में सुझाव दें।

5.3.3 सिंगल यूनिट कॉम्प्लेक्स और बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण प्रकरणों के अतिरिक्त, विकसित की जाने वाली भूमि का एक भाग लेने का विकल्प भूस्वामियों को विशिष्ट आर्थिक मुआवजे के बजाय उपलब्ध कराया जा सकता है। ऐसे भूस्वामी भूमियों को उन निर्धारित उद्देश्यों के लिये उपयोग करने हेतु स्वतंत्र होंगे, अर्थात्, इसका उपयोग, औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय जैसा भी किसी मामले में उपयुक्त हो, किया जा सकता है।

5.4 भूमि बैंक सृजित किया जाना

5.4.1 जमाबन्दियां (भूमि अभिलेख) राज्य में विस्तृत रूप से कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है। उचित समयावधि में इस जानकारी को ऑनलाईन उपलब्ध कराने की सरकार की योजना है।

5.4.2 रोजगार सृजन करने वाली औद्योगिक और निवेश गतिविधियों के लिए राज्य के विभिन्न भागों में सरकारी निष्प्रयोज्य भूमि को चिन्हित किए जाने और उपयोग किए जाने के लिए प्रयास किए जायेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों, राज्य सरकार, शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) आदि के पास उपलब्ध अतिरिक्त और उपयोग में न ली गई भूमि को संकलित कर भूमि बैंक सृजित किया जाएगा। इससे राज्य सरकार निवेशकों के तुरंत उपयोग हेतु भूमि प्रस्तावित कर सकेगा।

5.4.3 ऐसे भूखंडों का अग्रिम मूल्यांकन किए जाने की योजना है जो बाद में आर.आई.पी.बी., उद्योग विभाग या निवेश संवर्धन ब्यूरो की अनुशंसा के अनुसार निवेशकों को आवंटित किए जा सकेंगे। इससे राज्य सरकार निवेशकों के तुरंत उपयोग हेतु भूमि प्रस्तावित कर सकेगा।

5.5 निवेशों के लिए नए नीतिगत दिशानिर्देशों का निरूपण

विभिन्न उद्देश्यों और मानकों के अनुरूप भूमि के रियायत आधारित आवंटन से सम्बंधित प्रावधानों को

स्पष्ट वर्णित करने के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों का एक सेट तैयार किया जाएगा। कुछ मामलों में बड़े हुए एफ.ए.आर. के लिए प्रावधान, निर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा समयबद्ध आवंटन, तुरन्त पूर्ण भुगतान के स्थान पर वार्षिक किराया लीज पर लेने का विकल्प आदि को दिशानिर्देशों में सम्मिलित किया जाएगा।

6 एम.एस.एम.ई. संवर्धन पर विशेष बल

निवेश, संवृद्धि, रोजगार सृजन और निर्धनता उन्मूलन के लिए प्रगतिशील एम.एस.एम.ई. सेक्टर महत्वपूर्ण है। अपनी प्रकृति में कम पूंजी आधारित होने और उच्च श्रम खपत करने की क्षमता के कारण एम.एस.एम.ई. सेक्टर रोजगार उत्पन्न करने और ग्रामीण औद्योगीकरण में भी पर्याप्त योगदान कर सकता है। अपने अस्तित्व और प्रगति के लिए एम.एस.एम.ई. को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वित्त की सुलभता, अनुसंधान तथा विकास संबंधी निवेश, तकनीक की सुलभता, उत्पाद नवोन्मेष, मार्केटिंग और ई-मार्केटिंग समर्थन आदि की आधारीय समस्याओं के समाधान के लिए एम.एस.एम.ई. नीति में आवश्यक उपाय किए गए हैं।

6.1 2008 में जारी की गई एम.एस.एम.ई. नीति के अंतर्गत एम.एस.एम.ई. के लिए प्रोत्साहन जारी रखे जाएंगे।

6.2 संकुल विकास (क्लस्टर डवलपमेंट)

राज्य सरकार पूरे राज्य में एम.एस.एम.ई. के संकुल विकास को प्राथमिकता देना जारी रखेगी।

6.2.1 नए उपाय

- I. सरकार, राज्य में संकुलों के प्रोत्साहन को उच्च प्राथमिकता देगी। वर्तमान संकुलों को मजबूती प्रदान करने और नए संकुलों को चिन्हित करने के कार्य किए जाएंगे।
- II. एम.एस.एम.ई. नीति 2008 में संकुल विकास को सहयोग देने के विद्यमान प्रावधानों के अतिरिक्त, निम्न नए उपायों पर भी विचार किया गया है:
 - a. एस.पी.वी. आधार पर संकुल विकास हेतु वित्तीय सहायता की एक योजना लागू की जाएगी जिसकी निम्न विशेषतायें होंगी:
 - i. सरकार एम.एस.एम.ई. उद्यमी संगठनों को एम.एस.एम.ई. संकुल स्थापित करने के लिए एस.पी.वी. के माध्यम से आधारभूत ढांचे का विकास एवं सामुदायिक सेवाएँ जैसे कि सामुदायिक अपशिष्ट उपचार प्लांट, डिज़ाइन विकास एवं सामुदायिक हित हेतु अन्य सेवाएँ प्रदान करने को प्रोत्साहित करेगी।
 - ii. न्यूनतम महत्वपूर्ण 20 इकाईयों की संख्या वाले संकुल को विकसित करने वाली स्थिरक इकाईयों, नोडल संस्थान तथा/या औद्योगिक संघों को सामुदायिक सुविधाओं के विकास के लिए क्रियाकलापों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो संकुल में सदस्य इकाईयों की उत्पादकता और लागत कुशलता में सुधार कर सकें। ऐसे क्रियाकलापों में अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला/परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना, बाजार समझ के लिए सूचना/डेटा बैंक निर्मित करना, सामान्य ब्रांडिंग और बाजार विकास क्रियाकलाप निर्मित

करना, उत्पादों का प्रदर्शन, सामान्य परिरक्षण इकाईयां आदि शामिल हैं।

- iii. सरकार निजी भूमि को एम.एस.एम.ई. संकुलों की स्थापना हेतु बिना किसी परिवर्तन शुल्क के भूमि किस्म परिवर्तित करेगी।
- iv. यदि ऐसे संकुलों की योजना सरकारी भूमि पर बनाई जाती है तो सरकारी भूमि डी.एल.सी. दरों के 50 प्रतिशत पर आवंटित की जाएगी। ऐसे संकुलों के लिए सरकार अपने व्यय पर सम्पर्क सड़क व्यवस्था स्थापित करेगी।
- v. संकुल विकास योजना की कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराएगी जिसकी सीमा 1.50 करोड़ रुपए तक होगी। यह वित्तीय सहायता, भारत सरकार द्वारा अपने संकुल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित की गई परियोजनाओं के लिए प्रदान की जाएगी और भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के अतिरिक्त होगी।

b. अंतिम बिन्दु तक सम्पर्क सुविधा

- I. महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचा कार्यक्रम के अंतर्गत संकुल, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति के आधारभूत ढांचे के लिए और ऐसे पार्कों के निकटतम सम्पर्क मार्ग के निर्माण के लिए अंतिम बिन्दु तक सम्पर्क सुविधा प्राप्त करने के भी पात्र होंगे।
- II. पार्क के आंतरिक आधारभूत ढांचे, जैसे सड़कें, जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, अपशिष्ट शोधन, सामान्य सुविधा केन्द्र आदि की लागतें विकासकर्ताओं द्वारा वहन की जाएंगी।

6.3 भारत सरकार की योजनाओं और वित्त का लाभ उठाना

6.3.1

भारत सरकार और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा परिचालित की जा रही संबंधित योजनाएं, जैसे एसाईड, क्रेडिट 'गारंटी फंड ट्रस्ट स्कीम', एम.एस.एम.ई. के लिए संकुल विकास कार्यक्रम, 'क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी स्कीम' और तकनीकी उन्नयन योजना को एम.एस.एम.ई. उद्यमों के हित के लिए उपयुक्त रूप से जोड़ा जाएगा।

6.3.2

भारत सरकार की ऐसी योजनाओं में राज्य के अंश का योगदान करने के लिए प्रतिवर्ष रु. 5 करोड़ के एक समर्पित कोष की स्थापना की जाएगी। उद्योग आयुक्त के कार्यालय में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति इन योजनाओं के समन्वयन और क्रियान्वयन की निगरानी के लिए की जाएगी।

6.4

राजस्थान हथकरघा विकास निगम (आर.एच.डी.सी.) को पुनर्जीवित करने के उपायों में राज्य सरकार सहयोग देगी। आर.एच.डी.सी. को स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) और डिस्ट्रिक्ट पॉवर्टी इनीशिएटिव प्रोजेक्ट (वर्ल्ड बैंक द्वारा पोषित) के अंतर्गत बुनकर समूहों को प्रशिक्षण की परियोजनाएं दी जाएंगी।

6.5

राजस्थान वित्त निगम सूक्ष्म और कुटीर उद्योगों में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदानित दरों पर ऋण प्रदान करने की एक विशेष योजना आरंभ करेगा।

7 विशिष्ट क्षेत्रों को प्रोत्साहन

पूंजी की प्रति इकाई का रोज़गार सृजन के अवसर कुछ क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से अधिक है। कृषि प्रसंस्करण, कपड़ा, खनिज उत्पाद, हस्तकला, हथकरघा, रत्न और आभूषण जैसे कुछ क्षेत्रों में राजस्थान तुलनात्मक रूप से लाभपूर्ण स्थिति में है एवं उनका औद्योगिक उत्पादन में विशिष्ट स्थान हैं। इनमें से अधिकांश क्षेत्रों के लिए राज्य के पास कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इन सभी क्षेत्रों को विशिष्ट क्षेत्रों के रूप में विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।

7.1 राज्य सरकार निम्नलिखित विशिष्ट क्षेत्रों में निवेश संवर्धन के लिए विशेष प्रयास करेगी :

- i. आई.टी. एवं आई.टी.ई.एस. को समावेशित करते हुए नॉलेज (ज्ञान) क्षेत्र
- ii. पर्यटन
- iii. खनन एवं खनिज प्रसंस्करण
- iv. रत्न एवं आभूषण
- v. कृषि व्यवसाय
- vi. वस्त्र एवं परिधान
- vii. वृहद् निवेश
- viii. एफ. डी. आई./एन. आर. आई. के निवेश
- ix. हस्तकला एवं हथकरघा
- x. निर्यात
- xi. पिछड़े क्षेत्रों का विकास
- xii. हरित उद्योग
- xiii. अन्य श्रम प्रधान क्षेत्र

7.2 इनमें से अधिकांश क्षेत्रों जैसे पर्यटन, खनन, आई.टी.ई.एस. आदि के लिए राज्य सरकार की पहले से ही क्षेत्र विशिष्ट नीतियाँ हैं। ये नीतियाँ अबाध रूप से जारी रहेंगी।

7.3 आवश्यकतानुसार निवेश और व्यवसाय के लिए और अधिक अनुकूल बनाने की दृष्टि से विद्यमान नीतियों की समीक्षा की जाएगी। मौजूदा नीतियों में प्रावधानों के अतिरिक्त, इन विशिष्ट क्षेत्रों में निम्नलिखित अन्य उपायों का प्रावधान किया गया है:

7.3.1

ज्ञान क्षेत्र

- I. सरकार ज्ञान के विस्तार और उच्च कौशल आधारित गतिविधियों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, ज्ञान और बिजनेस प्रॉसेस आउटसोर्सिंग को प्रोत्साहित करेगी। सरकार ने ई-गवर्नेंस के विकास को सुनिश्चित करने तथा ई-प्रशासन के लिए नागरिक-केन्द्रित व व्यवसाय-केन्द्रित वातावरण बनाने के लिए अपने वार्षिक बजट का 3 प्रतिशत पहले ही आरक्षित कर दिया है।

II. जिला बी.पी.ओ. योजना 2010

- a. आई.टी.ई.एस. उद्योगों को राज्य के दूरस्थ स्थानों तक पहुँचाने के लिए निजी व्यवसायियों को 'टियर 3' शहरों जैसे अजमेर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर आदि में बी. पी. ओ. केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना तैयार की जाएगी।
- b. जिला बी.पी.ओ. योजना 2010 के एक भाग के रूप में, सरकार विभिन्न वित्तीय लाभ जैसे प्रशिक्षण, आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 20 लाख रुपये तक की पूंजी लागत पर 50 प्रतिशत पूंजी निवेश अनुदान, प्रदान करेगी। इस योजना में प्रशिक्षण के परिचालन लागत पर 50 प्रतिशत तक अनुदान भी दिया जा सकेगा परन्तु यह लागत 10,000 रुपये प्रति प्रशिक्षु से अधिक नहीं होगी। इसके एवज में कम्पनियों को प्रशिक्षुओं की एक निश्चित संख्या को रोजगार देने की गारंटी देनी होगी। उम्मीदवारों को कम्पनी में कम से कम एक वर्ष तक कार्य करने के लिए सहमत भी होना होगा।

7.3.2

पर्यटन

I. पर्यटन क्षेत्र के लिए भूमि

- a. पर्यटन इकाई के लिए भूमि का आवंटन पर्यटन इकाई नीति 2007 में प्रदत्त दरों के अनुसार होगा। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का रूपान्तरण, रूपांतरण व विकास शुल्क से पूरी तरह मुक्त होगा। पर्यटन इकाई हेतु भूमि की नीलामी के लिए मौजूदा प्रावधान की समीक्षा की जायेगी।
- b. पर्यटन को एक उद्योग घोषित कर दिया गया है, अतः रीको, पर्यटन इकाईयों को औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक दरों पर भूमि उपलब्ध करायेगा।

II. पधारो सा, 'वे-साइड फेसिलिटी' योजना

- a. 'पधारो सा' एक अभिनव योजना है जो निम्न लाभ प्रदान करते हुए निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ गुणवत्तापूर्ण 'वे-साइड' सुविधाओं के विकास द्वारा पर्यटन क्षेत्र में अधिक रोजगार के अवसर सृजन को लक्षित है:
 - i. गुणवत्तापूर्ण भोजन, प्रसाधन सुविधाओं की आसान सुलभता
 - ii. कुशल और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं
 - iii. बड़े पैमाने पर रोजगार
 - iv. पर्यटन में लघु उद्यमियों द्वारा निवेश
- b. पधारो सा' इकाई की डिजाइन विशिष्ट व ब्रांडेड होगी। इसमें रेस्टोरेंट, सुविनियर शॉप्स, सार्वजनिक टेलीफोन और कॉफी शॉप्स प्रकार की इकाईयाँ सम्मिलित होंगी।
- c. अनुमोदित इकाईयों को प्रोत्साहन के रूप में निर्माण/नवीनीकरण की लागत का 25 प्रतिशत-अधिकतम 5 लाख रुपये तक-भी प्रदान किया जाएगा।

- d. राज्य में दो वर्ष में इस प्रकार की 100 वेसाइड इकाईयों के विकास की राज्य सरकार योजना रखती है।

7.3.3 खनन एवं खनिज प्रसंस्करण

7.3.3.1 मूल्यवर्धन के आधार पर खनन और खनिज विकास अधिनियम, 1957 के धारा 11 (5) (या नये अधिनियम में सदृश अनुभाग) के तहत खनन पट्टों के आवंटन के लिए प्राथमिकता का निर्णय नीचे सूचीबद्ध क्रम में मानदंड के आधार पर किया जाएगा :

- निवेश की मात्रा (न्यूनतम 100 करोड़ रुपए निवेश संवर्धन ब्यूरो के प्रमाणन अनुसार)
- अयस्क स्तर पर मूल्य संवर्धन
- नई तकनीकों का समावेशन
- आधारभूत ढांचे का निर्माण
- मशीनीकरण, स्वचालनीकरण और कम्प्यूटरीकरण, दीर्घकालिक विकास और अन्वेषण विकास गतिविधियाँ

7.3.3.2 प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यसंवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार राज्य में स्थापित उद्योगों के स्व-प्रयोग के लिए जिप्सम, लिग्नाइट, सिलिका आदि जैसे खनिज पदार्थों के खनन हेतु खान आवंटन के अनुरोधों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करेगी। इस हेतु, यदि आवश्यक हुआ तो उचित प्रावधान किये जायेंगे।

7.3.4 रत्न एवं आभूषण

राजस्थान में रत्न और आभूषण उद्योग की लम्बी परंपरा है जो लाखों कारीगरों को रोजगार देती है। हमारे व्यापारियों एवं कारीगरों की उद्यमिता और कौशलों ने राज्य को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में सहायता की है। इस उद्योग को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए निम्नलिखित सहयोगी उपाय किये जायेंगे:

- सरकार राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के रत्न एवं आभूषण प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करेगी। भूमि, मान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए 50 प्रतिशत लागू आरक्षित या डी. एल. सी. दर या कूपन दर के 10 प्रतिशत पर आवंटित की जाएगी।
- उद्योग संघों को हॉलमार्क प्रमाणन केन्द्र एवं रत्न परीक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए ब्याज में अनुदान प्रदान किया जाएगा, यदि वे इसे लाभ प्राप्त न करने के उद्देश्यों से एक अलग वैध इकाई के रूप में स्थापित करेंगे।
- जैम बूर्स:** सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार जैम बूर्स की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी। शहर के केन्द्र में अवस्थित स्थान पर भूमि रियायती दरों पर प्रदान की जाएगी। यह परियोजना लाभ प्राप्त न करने के उद्देश्यों से एक अलग वैध इकाई के रूप में स्थापित की जानी होगी।

7.3.5 कृषि कारोबार

- किसानों को उनके उत्पाद का अच्छा मूल्य सुनिश्चित करने के लिए 'कृषि व्यवसाय संवर्धन एवं कृषि प्रसंस्करण उद्योग के लिए एक नई नीति "द पॉलिसी फॉर प्रमोशन ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग एण्ड एग्री बिज़नेस, 2010" की घोषणा की जा चुकी है। यह नीति राज्य में कृषि व्यवसाय और कृषि प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी, कृषि प्रसंस्करण और विपणन के समग्र मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने और विकास करने के साथ आपूर्ति श्रृंखला, बाजार के विकास और विविधीकरण को प्रोत्साहित करेगी।

II. एक मसाला पार्क जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है।

7.3.6

कपड़ा तथा परिधान

राजस्थान में परिधान उद्योग की प्रगति और बड़ी संख्या में लोगों द्वारा इस उद्योग में रोजगार प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार इस तरह की परिधान कम्पनियों का सहयोग करेगी जो नौकरी पर प्रशिक्षण देकर अपरिपक्व कर्मियों को कुशल श्रमिकों में बदलें। एक विस्तृत योजना तैयार की जाएगी जिसमें प्रशिक्षण उपकरणों और सुविधाओं की स्थापना के लिए पूंजीगत अनुदान का प्रावधान शामिल होगा। प्रशिक्षकों की लागत के भाग और प्रशिक्षुओं के मानदेय पर भी अनुदान प्रदान किया जाएगा।

7.3.7

बड़े निवेशों को आकृष्ट करना

- I. राज्य का एक वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में रूपांतरण सुनिश्चित करने के लिए अनेक बड़ी परियोजनाओं की स्थापना के माध्यम से विकास उचित माना गया है। राज्य सरकार ऐसे मेगा इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने एवं उनको सुगम बनाने में इच्छुक है जो महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिनका गुणात्मक प्रभाव हो, रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करते हों तथा समावेशी विकास प्रकृति के हो। बड़ी व मेगा परियोजनाएँ एस.एम.ई. क्षेत्र में अनुषांगिक तथा सहायक उद्योगों को भी प्रोत्साहित करती हैं।
- II. इस प्रकार बड़ी परियोजनाओं के विकास को सम्बंधित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए मुख्य रणनीति के रूप में अपनाने पर विचार किया जा रहा है। वृहद परियोजनाओं के लिए प्रत्येक मामले की योग्यता के अनुसार वित्तीय लाभों/प्रोत्साहन का विशेष पैकेज दिये जाने पर विचार किया जा सकता है। चूंकि वृहद परियोजनाओं को सहायक इकाईयों द्वारा सहयोग की भी आवश्यकता होगी इसलिए ऐसी इकाईयों को भी इस पैकेज के भाग के रूप में सहायता प्रदान की जायेगी।
- III. राज्य में वृहद परियोजनाओं के संवर्धन के लिए सुविधायें मुख्य रूप से निम्नलिखित परिसीमा के अंतर्गत लागू होंगी :
केंद्रित क्षेत्रों में वृहद परियोजनाएँ जिसमें ऑटो व ऑटो उपकरण, विमानों के लिए मेंटेनेंस रिपेयरिंग ऑपरेशन (एम. आर. ओ.) केन्द्र तथा कुछ अन्य परियोजनाएँ जो सरकार द्वारा प्रोत्साहन के लिए निर्धारित की गई हों, सम्मिलित करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा। इसमें आधारभूत ढांचागत क्षेत्र जैसे मेट्रो रेल लाइन, फूड पार्क, हाई स्पीड ट्रेन तथा सरकार द्वारा परियोजनाओं की अन्य श्रेणियाँ भी शामिल होंगी। इसके अतिरिक्त, इसमें नवीन परियोजनाएँ जो सरकार द्वारा निर्धारित हों, को भी शामिल किया जा सकता है। नवीन परियोजनाओं की परिभाषा के लिए मानकों का सूची विकसित की जायेगी।

7.3.8

विदेशी निवेश

राज्य सरकार विशेषकर उच्च तकनीक और उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में विदेशी निवेश का स्वागत करेगी। राज्य सरकार विदेशी निवेश और विदेशी तकनीक के लिये गठबंधनों को प्रोत्साहित करेगी। इसके अलावा, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) को बुनियादी परियोजनाओं, विशेषकर विद्युत उत्पादन, बंदरगाह विकास, सड़कों और पुलों के निर्माण के साथ-साथ सामाजिक ढांचा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और पर्यटन परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एफ. डी. आई. निवेशकों के साथ घरेलू निवेशकों जैसा ही व्यवहार किया जाएगा।

7.3.9

प्रवासी भारतीय

प्रवासी राजस्थानियों की एक बड़ी संख्या पूरे विश्व के विभिन्न देशों में बसी है। इन प्रवासियों ने अपने

उद्यम और कड़ी मेहनत से स्वयं को व्यापार और उद्योग में अपने निवास के देश में स्थापित किया है। वे न केवल निवेश संसाधन बल्कि कौशल और प्रबंधकीय क्षमताओं का उच्च स्तर भी रखते हैं जो इस देश में विश्व स्तरीय उद्यमों की स्थापना करने में उपयोग किया जा सकता है। राज्य ने राजस्थान फाउण्डेशन के माध्यम से प्रवासी भारतीयों को राज्य में निवेश के लिये प्रोत्साहित करने का बीड़ा उठाया है। एन. आर. आई. निवेशकों के साथ घरेलू निवेशकों जैसा ही व्यवहार किया जाएगा।

7.3.10 हस्तशिल्प / हथकरघा / खादी / ग्राम / कुटीर उद्योग

हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र में आजीविका के व्यापक अवसर उपलब्ध कराने वाले दस्तकार, कारीगर, कुटीर, खादी और ग्रामीण उद्योग शामिल हैं। यह रणनीति, हस्तशिल्प, हथकरघा और कुटीर उद्योगों को निर्धनता घटाने की एक प्रणाली के रूप में संवृद्धि हेतु प्रोत्साहित करने और लम्बे समय तक आय उत्पन्न करने के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रमुख रूपरेखा उपलब्ध कराने के लिए है।

7.3.10.1 मार्केटिंग सहयोग

- राज्य में भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटकों हेतु हस्तशिल्प विक्रय सुगम बनाने के लिए एम. आई. रोड, जयपुर में नवनिर्मित राजस्थली भवन को हस्तशिल्प मॉल के रूप में तैयार किया जाएगा।
- क्रॉफ्ट बाजार, एक्सपो, अन्य प्रदर्शनियां, अध्ययन यात्राएं आदि बाजार-सम्बंधी कार्यक्रमों में भाग लेने वाले एस.पी.वी., कारीगरों, उनके संघों को टीए/डीए प्रदान किया जाएगा।
- हस्तशिल्प और हथकरघा सम्भावनाओं वाले सभी प्रमुख जिलों में उनकी मार्केटिंग को सुगम बनाने के लिए नगरीय और ग्रामीण हाटों की स्थापना की जाएगी।
- राजस्थान लघु उद्योग निगम (आर.एस.आइ.सी.) राज्य के हस्तशिल्प को एक विशेष रूप से विकसित वेबसाइट के माध्यम से ई-मार्केटिंग प्लेटफार्म भी उपलब्ध कराएगा। यह वेबसाइट, राजस्थान हस्तशिल्प और हथकरघा के विषय में जनता और संभावित पर्यटकों को जानकारी प्रदान करेगी। वेबसाइट पर दी गई जानकारी में उत्पाद, उनके प्राप्तिस्थलों, उनके निर्माताओं के विषय में जानकारी तथा इसके साथ कारीगरों और निर्माताओं की अनूठी कहानियां भी शामिल होंगी। यह एक निर्देशिका के रूप में छोटे कारीगरों को पंजीकरण कराने और उनके उत्पादों को प्रदर्शित करने का छोटा शोकेस उपलब्ध कराने की सुविधा भी प्रदान करेगी।
- कारीगरों द्वारा सीधे विपणन के माध्यमों के रूप में 'शिल्पांगन' की स्थापना को और प्रोत्साहित किया जाएगा।

7.3.10.2 प्रमुख पारम्परिक और लुप्त होती कलाओं का पारंगत कारीगरों द्वारा कौशल प्रसार

कुछ चिन्हित पारम्परिक और लुप्त होती कलाओं के लिए, इन कलाओं में पारंगत व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों तथा कारीगरों के बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ये जिला स्तर के प्रशिक्षित कारीगर, संकुलों का दौरा करेंगे और अपने नवप्राप्त कौशलों को स्थानीय कारीगरों तक पहुँचायेंगे। इससे स्थानीय कारीगरों के कौशलों में सुधार और कलाओं का पुनरुद्धार होगा।

7.3.10.3 स्वरोजगार प्रशिक्षण

पारम्परिक/गैर-पारम्परिक कारीगरों, गैर-पि मजदूरों, बेरोजगार युवाओं आदि को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की कलाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। चूंकि इसका लक्ष्य स्वरोजगार उत्पन्न करना भी होगा, इसलिए प्रशिक्षण में आधारभूत कारोबारी कौशलों जैसे लागतें, कीमतें, मार्केटिंग, मूलभूत लेखाकारिता, कारोबार प्रबंधन, अनुसंधान आदि को समाहित किया जाएगा।

7.3.10.4 राज्य सरकार के अन्य विभागों के साथ एकीकरण

राज्य में हस्तशिल्प संवर्धन के लिए राज्य सरकार, राज्य के अन्य विभागों, जैसे समाज कल्याण विभाग, पर्यटन विभाग और उद्योग विभाग के साथ भागीदारी स्थापित करने की सम्भावना की खोज करेगी। उदाहरण के लिए, राज्य पर्यटन विकास निगम को राज्य में हस्तशिल्प के संवर्धन और विक्रय के लिए सक्रिय रूप से संलग्न किया जायेगा।

7.3.10.5 कॉमन ब्रांडिंग

राजस्थान हस्तशिल्प के लिए एक कॉमन ब्रांड की स्थापना, इस क्षेत्र के विकास के लिए अनिवार्य है। राजस्थान के हस्तशिल्प को एक विशिष्ट ब्रांड के अंतर्गत अभिकल्पित किया जाएगा जो राज्य की धरोहर और परम्परा को प्रतिबिंबित करता हो। एक 'मेड इन राजस्थान' स्टॉम्प या प्रतीक परिकल्पित किया जाएगा जो राजस्थान में निर्मित सभी उत्पादों का प्रतिरूपण करेगा।

7.3.10.6 हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास बोर्ड

स्वयंसेवी संगठनों, निर्माताओं, कारीगरों, संघों और निर्यातकों के साथ मिलकर एक हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास बोर्ड गठित किया जाएगा जिसके सदस्यों में सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। यह बोर्ड इस क्षेत्र को प्रोत्साहित और विकसित करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के विषय में सरकार को सलाह देगा।

7.3.10.7 अधिकाधिक मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए हस्तशिल्प एवं हथकरघा सेक्टर हेतु नई योजनाओं को आरम्भ किया जाएगा।

7.3.10.8 कुशल बुनकरों की घटती संख्या के कारण खादी सेक्टर संकट का सामना कर रहा है। बुनकरों के इस वर्ग के लिए चिकित्सकीय लाभ सुनिश्चित करने और सामुदायिक परिसम्पत्तियों के विकास के लिए एक प्रोत्साहन पैकेज लागू किया जाएगा। कताई बुनाई करने वालों को नाबार्ड की स्वयं सहायता समूह योजना का लाभ लेने को प्रेरित किया जाएगा।

7.3.11 निर्यात

आधारीय सुविधाओं, जैसे औद्योगिक संवृद्धि के प्रमुख केन्द्रों के निकट कंटेनर डिपो की स्थापना, उत्पाद परीक्षण और विकास हेतु विशेषकर लघु उद्योग क्षेत्र के लिए सुविधाएं, सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन को अपनाने हुए गुणवत्ता उन्नयन और आई. एस. ओ. श्रृंखला प्रमाणन आदि को उपलब्ध कराने पर विशेष जोर होगा। आर. एस. आई. सी. द्वारा प्रबंधित अंतर्देशीय कंटेनर डिपो तथा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स को निर्यातकों के लिए अनुकूल तथा कारोबारी दृष्टि से उन्नत बनाने हेतु नवीनीकृत किया जाएगा।

7.3.11.1 रियायतें

जहां आवश्यक हो, निर्यात इकाईयों को अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने हेतु स्टॉल के किराए के लिए 30 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा किन्तु किराये पर लिए गये स्थान की अधिकतम सीमा 9 वर्गमीटर होगी।

7.3.11.2 निवेशकों को "एसिसटेंस टू स्टेटस फॉर डवलपमेंट ऑफ एक्स्पॉर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर (एसआईड) योजना" में लाभ प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। योजना का उद्देश्य निर्यात के लिए उचित आधारभूत सुविधाओं का विकास व संवर्धन हेतु सहायता प्रदान कर राज्यों को निर्यात क्षेत्र के विकास में सम्मिलित करना है।

7.3.12

हरित उद्योग

7.3.12.1

सरकार हरित उद्योगों की स्थापना को प्रेरित करेगी। इस उद्देश्य से निम्न में से कम से कम एक कार्य करने वाली हरित या स्वच्छ गतिविधियों पर विचार किया जायेगा—

- अक्षय ऊर्जा उत्पादन एवं भंडारण—** इसमें पवन, सौर, जल, जैवईंधन, जैवअपशिष्टों आदि तथा अन्य संभावित स्रोतों द्वारा उत्पादित वैकल्पिक ऊर्जा शामिल है
- प्रचलित पदार्थों का पुनर्चक्रण—** पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों एवं अपशिष्ट के संग्रह और परिष्करण में लगी कम्पनियां, जिनमें पुनर्चक्रण या अपशिष्ट जल संयंत्र चलाने वाली कंपनियां और पर्यावरण स्वच्छ करने वाली कम्पनियां शामिल हैं (कागज, कांच और डिब्बों को कूड़ेदान में रिसाईकिल करने वाली कंपनियां शामिल नहीं हैं)।
- ऊर्जा कुशल उत्पादों का निर्माण, वितरण, विनिर्माण, संस्थापन एवं रखरखाव—** इसमें ऐसी कम्पनियां शामिल हैं जो सौर पैनल, एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब और वाहनों जैसे उत्पादों का अनुसंधान, विकास एवं उत्पादन करती हैं। इसमें ऐसी विनिर्माण कम्पनियां भी शामिल हैं जो इन उत्पादों को नई या वर्तमान आवासीय या वाणिज्यिक इमारतों तथा रियल एस्टेट नियोजन और भूमि विकास परियोजनाओं में इन उत्पादों को संस्थापित और मरम्मत करती हैं।
- शिक्षा, अनुपालना एवं जागरूकता—** इस सेक्टर में सौर पैनल संस्थापन, ऊर्जा लेखापरीक्षण, उपयुक्तता प्रबंधन और पर्यावरणीय कैरियर संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदाता और पर्यावरणीय सलाहकारिता, ट्रेडिंग एवं ऑफसेट कम्पनियाँ शामिल हैं।
- प्राकृतिक और दीर्घकालिक उत्पाद निर्माण—** इसमें वे कम्पनियाँ शामिल हैं जो प्राकृतिक सामग्रियों के उपयोग वाले उत्पाद निर्मित करती हैं। इसमें वे कारोबार भी शामिल हैं जो सुरक्षित, नॉनटॉक्सिक उत्पादों को निर्मित करते हैं, हस्तशिल्प तथा हथकरघा, पूर्व में पुनर्चक्रित की गई सामग्री और अपशिष्ट से निर्मित उत्पाद वाली कम्पनियाँ।

सरकार अपशिष्ट में कमी, पुनर्उपयोग या पुनर्चक्रण को प्रेरित करेगी। अपशिष्ट को कच्चे माल की भांति उपयोग करने वाली या पुनर्चक्रित अपशिष्ट से कारोबार करने वाली इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।

7.3.12.2

प्रदूषण मुक्त उद्योगों हेतु एफ. ए. आर. में वृद्धि

इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, परिधान, सूचना तकनीक एवं सूचना तकनीक सक्षम सेवाएं जैसे स्वच्छ और रोजगार सघन उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए रीको औद्योगिक क्षेत्रों में अतिरिक्त एफ. ए. आर. प्रदान किए जाएंगे।

7.3.13

पिछड़े क्षेत्र

उद्योग और सेवा क्षेत्रों से घरेलू उत्पाद उत्पन्न करने के संदर्भ में राज्य में अनेक जिले पिछड़े हुए हैं। ऐसे जिलों में औद्योगिक तथा सेवा उद्यमों को स्थापित किए जाने की लागतें और आधारभूत ढांचागत विकास की लागतें अपेक्षाकृत उच्च हैं। ऐसे क्षेत्रों में निवेश संवर्धन और रोजगार सृजन के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।

परिशिष्ट

नई औद्योगिक तथा निवेश संवर्धन नीति 2010 की योजनाएं

क्रम संख्या	अध्याय	अनुच्छेद संख्या	योजना	सम्बंधित विभाग
1	उच्च कोटि के आधारभूत ढांचे का विकास	3.3	महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचा परियोजनाओं में सहायता	उद्योग
2	उच्च कोटि के आधारभूत ढांचे का विकास	3.4.1	नए औद्योगिक क्षेत्र	उद्योग
3	उच्च कोटि के आधारभूत ढांचे का विकास	3.8.5	औद्योगिक संकुलों/पार्कों के लिए निर्बाध (24x7) विद्युत आपूर्ति के लिए एस. पी. वी.	ऊर्जा/उद्योग
4	कौशल स्तरों एवं रोजगारयोग्यता को प्रोत्साहन	4.1	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों को सेन्टर्स ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नत करने की राज्य योजना	तकनीकी शिक्षा/श्रम तथा रोजगार
5	कौशल स्तरों एवं रोजगारयोग्यता को प्रोत्साहन	4.2	ट्रेन टू गेन योजना	उद्योग
6	कौशल स्तरों एवं रोजगारयोग्यता को प्रोत्साहन	4.4	अंग्रेजी सुधार प्रशिक्षण	उच्च शिक्षा
7	कौशल स्तरों एवं रोजगारयोग्यता को प्रोत्साहन	4.8.I	औद्योगिक क्षेत्र प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए सहायता	उद्योग
8	कौशल स्तरों एवं रोजगारयोग्यता को प्रोत्साहन	4.8.II (a)	अग्रणी संस्थानों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता	उच्च/तकनीकी शिक्षा
9	कौशल स्तरों एवं रोजगारयोग्यता को प्रोत्साहन	4.8.II (b)	लघु अवधि के ब्रिज पाठ्यक्रमों हेतु सहायता	उच्च/तकनीकी शिक्षा
10	कौशल स्तरों एवं रोजगारयोग्यता को प्रोत्साहन	4.8.III (a)	निजी क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण संस्थानों हेतु सहायता	उद्योग
11	कौशल स्तरों एवं रोजगारयोग्यता को प्रोत्साहन	4.8.III(b)	पी.पी.पी. आधार पर राजीव गांधी कौशल स्कूलों हेतु सहायता	उद्योग/श्रम तथा रोजगार
12	कौशल स्तरों एवं रोजगारयोग्यता को प्रोत्साहन	4.8.III (c)	तकनीकी संस्थानों की स्थापना	तकनीकी शिक्षा
13	एम.एस.एम.ई. संवृद्धि पर फोकस	6.2.1 (a)	एस.पी.वी. आधार पर संकुल विकास हेतु वित्तीय सहायता	उद्योग
14	विशिष्ट क्षेत्रों का संवर्धन	7.3.1.II	जिला बीपीओ योजना 2010	उद्योग/आई.टी.
15	विशिष्ट क्षेत्रों का संवर्धन	7.3.2.II	'पधारो सा' योजना	पर्यटन
16	विशिष्ट क्षेत्रों का संवर्धन	7.3.6	परिधान सेक्टर में प्रशिक्षण सहायता हेतु योजना	लघु उद्योग
17	विशिष्ट क्षेत्रों का संवर्धन	7.3.10.2 7.3.10.3	शिल्प क्षेत्र के लिए तीन नई योजनाएं	लघु उद्योग
18	विशिष्ट क्षेत्रों का संवर्धन	7.3.10.7	राजस्थान हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास वित्त योजना	लघु उद्योग

www.investrajasthan.com



Bureau of Investment Promotion
(a Government of Rajasthan Organisation)

Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur 302 005, Rajasthan, India
Tel: +91 141 222 72 74, 222 78 12. Fax: +91 141 222 7506. E-mail: bip.raj@nic.in